BUREAU OF ENERGY EFFICIENCY

Room Air Conditioners

Short Title	Clause of EC Act, 2001	Notification/ Regulation/ Amendment & Date	Reference IS/ IEC Standards
Room Air Conditioner	14(b)	S.O.180(E) dated 12 th January, 2009	
(1) Unitary	14(a)	S.O.181(E) dated 12 th January, 2009	
Type & 1:1 high wall	Amendment I	S.O.24(E) dated 5 th January, 2010	
split type	Amendment II	S.O. 43(E) dated 9 th January, 2012	
(2) Ceiling Mounted &	Amendment III	S.O.1970(E) dated 2 nd July, 2013	IS1391:1992 (Part I & II)
Floor Standing	Amendment IV	S.O.3543(E) dated 30 th Dec, 2015	(runt rec ii)
	14(d)	No.2/11(5)/03-BEE.2 dated 6 th July, 2009	
	Amendment I	No.2/11(5)/03-BEE.2 dated 5 th January, 2010	
	Amendment II	No.2/11(5)/03-BEE.2 dated 8 th May, 2013	

[PART II—SEC. 3(ii)]

अधिसूचना

नई दिल्ली, 12 जनवरी, 2009

का.आ. 180(अ).—केन्द्रीय सरकार, ऊर्ज़ा संरक्षण अधिनियम 2001 (2001 का 52) की धारा 14 के खण्ड (ख) और खंड (घ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, ऊर्ज़ा दक्षता ब्यूरो के परामर्श से नौ हजार किलो कैलोरी/घंटे की रेटिड प्रशीतन क्षमता तक घरेलू उपयोग के लिए वाष्प संपीड़न के कक्ष वातानुकूलकों के लेबल पर विशिष्टियों को संप्रदर्शित करने के लिए विनिर्दिष्ट करती है और निर्देश देती है कि ऐसे साधित्र या साधित्रों के वर्ग, लेबल पर ऐसी विशिष्टियों को और ऐसी रीति में, जो ऊर्ज़ा दक्षता ब्यूरो (कक्ष वातानुकूलक के लेबलों पर उनके संप्रदर्शन की विशिष्टियों और रीति) विनियम, 2008 में विनिर्दिष्ट हैं, प्रदर्शित करेगी।

[फा. सं. 10/6/2004-ईसी] देवेन्द्र सिंह, संयुक्त सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 12th January, 2009

S.O. 180(E).—In exercise of the powers conferred by clauses (b) and (d) of section 14 of the Energy Conservation Act, 2001 (52 of 2001), the Central Government in consultation with the Bureau of Energy Efficiency, hereby specifies the room air conditioners of vapour compression type for household use up to a rated cooling capacity of 9000 kcal/hour for display of particulars on label and direct that any such appliances or class of appliances shall display such particulars on labels in such manner as are specified in the Bureau of Energy Efficiency (Particulars and Manner of their Display on Labels of Room Air Conditioners) Regulations, 2009.

[F. No. 10/6/2004-EC]
DEVENDER SINGH, Jt. Secy.


अधिसूचना

नई दिल्ली, 12 जनवरी, 2009

का.आ. 181(अ).—केन्द्रीय सरकार, ऊर्जा संरक्षण अधिनियम 2001 (2001 का 52) की धारा
14 के खण्ड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए ऊर्जा दक्षता ध्यूरों के परीमर्श की से घरेलू प्रयोग के लिए 9000 किलो कैलोरी / घन्टा निर्धारित क्षमता वाले सितारा लेबलित, वाष्प संपीडन प्रकार के वातानुकूलकों के लिए ऊर्जा खपत के मानकों को इस प्रकार निर्दिष्ट करती है —

(1) भारत में निर्मित अथवा वाणिज्यिक तौर पर क्रय अथवा विक्रय किए गए 9000 कि0 कैलोरी / घन्टा तक की शीतलन क्षमता वाले वाष्प संपीडन कक्ष-वातानुकूलक






- (i) खंड 10.4 में भारतीय मानक 1391 (भाग 1): 1992 के शीर्षक "अधिकतम प्रचालन स्थितियां परीक्षण" यूनिटरी वातानुकूलकों के लिए और स्प्लिट वातानुकूलकों के लिए भारतीय मानक 1391 (भाग 2): 1992 के "अधिकतम प्रचालन स्थितियां परीक्षण" की अपेक्षाओं को सभी सुधारों के साथ पालन करेंगे।
- (ii) या तो बी.आई.एस. प्रमाणन चिह्न हो अथवा आई.एस./आई.एस.ओ. 9000 या इससे अधिक के प्रति प्रमाणित हो।
- (2) कक्ष वातानुकूलकों पर लगाये जाने वाले लेबल पर एक सितारा के अन्तराल में अधिकतम पांच सितारे दिखाई देंगे। ये वातानुकूलक अपनी ऊर्जा दक्षताओं के आधार पर सितारा एक से सितारा पांच तक निर्धारित होंगे।
- 2. सितारा रेटिंग अथवा सितारा स्तर योजना (1) कक्ष वातानुकूलक का सितारा स्तर ऊर्जा दक्षता अनुपात द्वारा निर्धारित होगा जो कि सारणी 2.1 अथवा 2.2 अथवा 2.3 से प्राप्त किया जा सकेगा और जो इसके निर्माण के वर्ष, व्यापारिक क्रय अथवा विक्रय पर निर्मर करता है।


क्र.सं:	उत्पाद निर्मित / व्यापारिक रूप से खरीदा या बेचा गया	उपयोग की जाने वाली सारणी
1.	इन विनियमों के लागू होने के एक वर्ष के अन्दर	2.1
2.	सारणी 2.1 के अन्तर्गत पूरे किये समय के बाद	2.2
3.	सारणी 2.2 के अन्तर्गत पूरे किये समय के बाद	2.3

सारणी 2.1 : विनियमों के प्रवृत्त होने की तारीख से एक वर्ष तक विधिमान्य सितारा स्तर

	कर्जा कार्यकुशल	ता अनुपात (वाट/वाट)
सितारा लेबल	न्यूनतम	अधिकतम
1 सितारा *	2.30	2.49
2 सितारा **	2.50	2.69




- (3) सितारा स्तर बैन्डों के लिए कोई सहयता नहीं होगी। प्रत्येक परीक्षित उत्पाद सितारा स्तर बैन्ड की प्रभावी सीमा को अवश्य छूना चाहिए। परीक्षित उत्पादों का औसत स्तर प्रभावसीमा के बराबर या इससे बेहतर होना चाहिए। निर्माण सहयता और अन्य परिवर्तनों का ध्यान सितारा स्तर का निर्धारण करते समय रखा जाएगा और पूर्णांकन करते समय निम्न बातों का भी ध्यान रखना होगा—
- (i) संख्या को-पूर्णांकित तथा पांच सार्थक अंकों तक अभिलेखित किया जाए शीतलन क्षमता का मान (kw) में पूर्णांकित किया जाएगा और तीन सार्थक अंकों तक अभिलेखित किया जाएगा।
- (ii) ऊर्जा खपत (w) का मान भी पूर्णांकित किया जाएगा (≤ 0.5 होने पर पूर्णांक की नीचली संख्या और ≥ 0.5 होने पर ऊपर की पूरी संख्या) ऊर्जा दक्षता अनुपात का मान पूर्णांकित किया जाएगा और दो सार्थक अंकों तक अभिलेखित किया जाएगा।
- (4) सारणी 2.3 में दी अवधि पूर्ण होने पर सितारा स्तर योजना का हर दो वर्ष बाद पुनरीक्षण होगा।
- 3. **परीक्षण और सहयता** :- (1) सितारा स्तर का निर्धारण करने के लिए यूनिटरी वातानुकूलकों के लिए भारतीय मानक 1391 (भाग 1) : 1992 के अनुसार परीक्षण किए जायेंगे और स्प्लिट वातानुकूलकों के लिए, सभी सुधारों सहित भारतीय मानक 1391 (भाग 2) : 1992 के अनुसार परीक्षण किए जाएंगे।
- (2) परीक्षण के लिए पैरामीटर (प्राचल) विद्युत खपत और शीतलन परीक्षण होगा जो यूनिटरी वातानुकूलकों के लिए भारतीय मानक 1391 (भाग I) 1992 (अधिकतम प्रचालन स्थितियां परीक्षण) खण्ड 10.4 (शीतलन के लिये विद्युत खपत परीक्षण) खण्ड 10.8 और (धारिता रेटिंग परीक्षण) खण्ड 10.10 द्वारा नियंत्रित होगा और स्प्लिट वातानुकूलकों के लिए भारतीय मानक 1391 (भाग 2) 1992 (अधिकतम प्रचालन स्थितियां परीक्षण) खण्ड 9.4 (शीतलन के लिए विद्युत खपत परीक्षण) खण्ड 9.7 और (धारिता निर्धार परीक्षण) खण्ड 9.9 द्वारा नियंत्रित होगा।
- (3) परीक्षित की गई प्रत्येक यूनिट की सहिष्णुता सीमा निम्न द्वारा नियंत्रित होती है-
 - (i) मापी गई शीतलन क्षमता निर्धारित मान से >0.95 होती है;
 - (ii) मापी गई ऊर्जा खपत निर्धारित मान से 1.05< होती है;



- (vi) वातानुकूलक विन्यास 2- टाइप केवल शीतलन/केवल तापन/शीतलन और तापन
- (vii) वातानुकूलक विन्यास 3- उष्मा अन्तरण/वायु शीतलन टॉवर/जल लूप
- (viii) वाहिनी रहित स्प्लिट प्रणाली, आन्तरिक यूनिट आरोपण दीवार से लटका / छत के नीचे / फर्श पर लगा / कैसेट / फर्श / छत
- (ix) परीक्षित यूनिट की क्रम संख्या (पैकेज यूनिट अथवा विपाटित प्रणाली की स्थिति में आन्तरिक)
- (x) परीक्षित यूनिट की क्रम संख्या (रिप्लट प्रणाली की स्थिति में वाहय)
- (xi) निर्धारित वोल्टता V (स्प्लिट सिस्टम की स्थिति में पैकेज यूनिट का)
- (xii) निर्धारित वोल्टता V (स्प्लिट सिस्टम में वाह्य)
- (xiii) निर्धारित आवृत्ति
- (xiv) निर्धारित शीतलन क्षमता
- (xv) निर्धारित प्रभावी शक्ति निवेश, शीतलन
- (xvi) निर्धारित तापन क्षमता (जहां हो)
- (xvii) निर्धारित प्रभावी शक्ति निवेश, तापन (जहां हो)
- (xviii)क्या यह वातानुकूलक परिवर्ती निर्गम संपीडक का प्रयोग करता है (उदाहरणतया गति चालक अथवा बहु गति संपीडक)

2. परीक्षण सारांश

- (i) प्रत्येक प्रकार के परीक्षण के लिए, जैसी आवश्यकता हो इस पृष्ठ की अलग प्रति पूर्ण करें।
- (ii) परीक्षण की तिथि
- (iii) परीक्षण अधिकारी
- (iv) परीक्षण विधा : केवल शीतलन
- (v) परीक्षण प्रकार : शीतलन क्षमता / अधिकतम शीतलन / सभी प्रयोज्य परीक्षण
- (vi) सांकेतिक परीक्षण स्थितियां
- (vii) परीक्षण कक्ष प्रकार के आन्तरिक उपस्कर : कैलोरीमीटर/ऐन्थेल्पी परीक्षण कक्ष
- (viii) परीक्षण कक्ष प्रकार वाहय उपस्कर : कैलोरीमीटर/एन्थेल्पी परीक्षण कक्ष/जल-लूप



- 4. अधिकतम प्रचालन स्थितियां परीक्षण परिणाम
 - (क) क्या यूनिट ने अधिकतम प्रचालन परीक्षण सफल किए ? हां/नहीं


[फा. सं. 10/6/2004-ईसी] देवेन्द्र सिंह, संयुक्त सचिव

NOTIFICATION


New Delhi, the 12th January, 2009

- **S.O. 181(E).— In exercise of the powers conferred by clause (a) of section 14 of the Energy Conservation Act, 2001 (52 of 2001), the Central Government in consultation with the Bureau of Energy Efficiency, hereby specifies the energy consumption standards for star labelled room air conditioners of the vapour compression type for household use up to a rated cooling capacity of 9000 kcal/hour as under:-
 - (1) The room air conditioners of the vapour compression type for household use up to a rated cooling capacity of 9000 kcal/hour being manufactured, commercially purchased or sold in India shall -
 - (i) meet the compliance requirements contained in clause 10.4 under the heading "Maximum Operating Conditions Test" of IS 1391(Part1):1992 for unitary air conditioners and clause 9.4. under the heading "Maximum Operating Conditions Test" of IS 1391(Part 2):1992 for split air conditioners, with all amendments.
 - (ii) either carry BIS certification mark or the manufacturer should be certified against IS/ISO 9000 or above.
 - (2) The label to be affixed to room air conditioners shall display a maximum of five stars with an interval of one star. These air conditioners shall be rated from star one to star five based on their relative energy efficiencies.
 - 2. Star rating or star level plan. -(1) The star level of the room air conditioner shall be determined by Energy Efficiency Ratio which shall be obtained from Table 2.1 or 2.2 or 2.3 depending on the year of manufacturing or commercial purchase or sale.

SL. No.	Product Manufactured/ Commercially purchased or sold	Table to be used	
**** 1	One year from the date of coming into force of these regulations	2.1	
2	One year after the period covered under Table 2.1 is completed	2.2	
3	Two years after the period covered under Table 2.2. is completed.	2.3	



- (ii) the values of energy consumption (W) shall be rounded of (< 0.5 to lower whole number and ≥ 0.5 to higher whole number) to the nearest whole number.the values of Energy Efficiency Ratio shall be rounded and recorded to two significant figures.
- (4) The star level plan shall be reviewed every two years after the period covered under Table 2.3. is over.
- 3. Testing and tolerance.- (1) For the purpose of determining the star level, the room air conditioners shall be tested as per IS 1391(Part1):1992 for unitary air conditioners and IS 1391 (Part 2):1992 for split air conditioners, with all amendments.
 - (2) The parameters for testing shall be power consumption and cooling test and shall be governed by clauses "10.4 (Maximum Operating Conditions Test)","10.8 (Power Consumption Test for Cooling)"and "10.10 (Capacity Rating Test)" of IS 1391 (Part1):1992 for unitary air conditioners and clauses "9.4. (Maximum Operating Conditions Test)", 9.7. (Power Consumption Test for Cooling)" "9.9 Capacity Rating Test)" of IS 1391 (Part 2):1992 for split air conditioners
 - (3) The tolerance limits for each unit tested shall be governed by the following:
 - (i) the measured cooling capacity shall be > 0.95 of the rated value;
 - (ii) the measured energy consumption shall be < 1.05 of the rated value;
 - (iii) the measured Energy Efficiency Ratio shall be > 0.95 of the rated Energy Efficiency Ratio.
- (4) All tests including the power consumption, capacity tests and maximum operating conditions tests shall be conducted by Bureau of Energy Efficiency or through its designated agency in balanced ambient calorimeters for the purpose of verification and challenge testing.
- 4. Sampling for verification. -The selection of room air conditioners for tests (sampling) and quantities shall be as follows:
 - (i) The samples will be picked up by Bureau of Energy Efficiency (BEE) or its designated agency for testing as per the following sampling plan:
 - a) One sample will be picked up at random from the manufacturing facility or warehouse.
 - b) One sample will be picked up from a retail outlet.
 - (ii) Three units of each type shall be picked up for each test. The tests shall be conducted on two of the three units, the third shall be kept as an alternative in case one of the units is damaged or cannot be tested properly for any other reason.
- 5. Test report. -The results of tests of each unit shall be reported in Annexure A.



- (xviii) Indoor condition -- maximum variation dry bulb (max min) (°C):
- (xix) Indoor condition mean wet bulb (°C): (where applicable)
- (xx) Indoor condition maximum variation wet bulb (max min) (°C): (where applicable)
- (xxi) Fan setting:
- (xxii) Average air flow volume (m/hour):
- (xxiii) Indoor external static pressure (Pa): (ducted units only)
- (xxiv) Outdoor condition mean dry bulb (°C):
- (xxv) Outdoor condition maximum variation dry bulb (max min) (°C):
- (xxvi) Outdoor condition mean wet bulb (°C):
- (xxvii) Outdoor condition maximum variation wet bulb (max min) (°C):
- (xxviii) Reading frequency (minutes):

3. Cooling capacity results

- (i) Measured sensible cooling capacity (W):
- (ii) Measured latent cooling capacity (W):
- (iii) Measured total cooling capacity (W):
- (iv) Measured effective power input (W):
- (v) Measured EER cooling (W/W):

4. Maximum operating conditions test results

(a) Did the unit pass the maximum operating test? Yes/No

[F. No. 10/6/2004-EC]
DEVENDER SINGH, Jt. Secy.


अधिसूचना

नई दिल्ली, 12 जनवरी, 2009

का,आ. 182(अ).—केन्द्रीय सरकार, ऊर्जा संरक्षण अधिनियम, 2001 (2001 का 52) की धारा 14 के खंड (ख) और खंड (घ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए ऊर्जा दक्षता ब्यूरों के परामर्श से, लेबल पर विशिष्टियां संप्रदर्शित करने के लिए घरेलू फ्रास्ट फ्री प्रशीतक को विनिर्दिष्ट करती है और यह निर्देश देती है कि ऐसे सभी साधित्र या साधित्रों के वर्ग लेबलों पर ऐसी विशिष्टियों को ऐसी रीति में संप्रदर्शित करेंगे जो ऊर्जा दक्षता ब्यूरों (घरेलू फ्रास्ट फ्री प्रशीतकों के लेबलों पर उनके संप्रदर्शन की विशिष्टियां और रीति) विनियम, 2009 में विनिर्दिष्ट है, प्रदर्शित करेगी।

[फा. सं. 10/6/2004-ईसी] देवेन्द्र सिंह, संयुक्त सचिव

with the tendent and and



स्ट्री सं॰ डी॰ एल॰-33004/9

REGD. NO. D. L.-33004/9

The Gazette of India

EXTRAORDINARY

भाग ।।--खण्ड ३---उप-खण्ड (ii) PART II-Section 3-Sub-section (ii) प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 18] No. 181 नई दिल्ली, बुधवार, जनवरी 6, 2010/पौष 16, 1931

NEW DELHI, WEDNESDAY, JANUARY 6, 2010/PAUSA 16, 1931

विद्युत मंत्रालय अधिसूचना

नई दिल्ली, 5 जनवरी, 2010

का.आ. 24(अ).- केन्द्रीय सरकार, ऊर्जा संरक्षण अधिनियम, 2001 (2001 का 52) की धारा 14 के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए ऊर्जा दक्षता ब्यूरो से परामर्श करने के पश्चात भारत सरकार के विद्युत मंत्रालय की अधिसूचना सं0का.आ. 181 (अ) तारीख 12 जनवरी, 2009 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात :--


उक्त अधिसूचना में,-

- "घरेलू प्रयोग के लिए 9000 किलो कैलारी/घंटा निर्धारित क्षमता वाले" शब्द जहां-जहां वे आते हैं, के स्थान पर "जो गवाक्ष वातानुकूलक और 10465 वाट (9000 किलो कैलोरी/घंटा) के निर्धारित शीतलन क्षमता तक 1:1 ऊंची दीवार स्पलिट वातानुकूलक प्रकार के हैं" शब्द रखे जाएंगे
- (ii) पैरा 2, के उपपैरा (1) के स्थान पर निम्नलिखित उपपैरा रखा जाएगा, अर्थात :--

"सितारा रेटिंग या सितारा स्तर योजना-(1) कक्ष वातानुकूलक का सितारा स्तर का अवधारण ऊर्जा दक्षता अनुपात द्वारा किया जाएगा जो इसके विनिर्माण वर्ष या आयात या विक्रय के आधार पर निम्नलिखित सारणी 2.1 अथवा 2.2 अथवा 2.3 से अभिप्राप्त किया जा सकेगा अर्थात :--

क्र.सं०	उत्पाद विनिर्माण या आयात या विक्रय की अवधि	उपयोग की जाने वाली सारणी
1.	इन आदेशो के प्रकाशित होने की तारीख से तक	2 1
2.	01.01.2012 से 31.12.2013 तक	5.5
3.	01.01.2014 से 31.12.2015 तक	2.3

50 GI/2010



सारणी 2.1 : इन आदेशों के प्रकाशन की तारीख से 31.12.2011 तक सितारा स्तर का विधिमान्य होना

स्टार रेटिंग	ऊर्जा दक्षता अनुपात (वाट/वाट)	
1 सितारा*	2.30	2.49
2 सितारा * *	2.50	2.69
3 सितारा * * *	2.70	. 2.89
4 सितारा * * * *	2.90	3.09
5 सितारा * * * * *	3.10	

सारणी 2.2 : में 01.01.2012 से 31.12.2013 तक सितारा स्तर का विधिमान्य होना


स्टार रेटिंग बैन्ड	ऊर्जा दक्षता अनुपात (वाट/वाट)	
1 सितारा*	2.50	2.49
2 सितारा * *	2.70	2.69
3 सितारा * * *	2.90	2.89
4 सितारा * * * *	3.10	3.09
5 सितारा * * * * *	3.30	

सारणी 2.2 : 01.01.2014 से 31.12.2015 तक सितारा स्तर का विधिमान्य होना

स्टार रेटिंग बैन्ड	ऊर्जा दक्षता अनुपात (वाट/वाट)	
1 सितारा*	2.70	2.89
2 सितारा * *	2.90	3.09
3 सितारा * * *	3.10	3.29
4 सितारा * * * *	3.30	3.49
5 सितारा * * * * *	3.50"	

[फा. सं. 10/6/2004-ईसी] देवेन्द्र सिंह, संयुक्त सचिव

पाद टिष्पण :— मूल अधिसूचना संख्यांक का.आ.181 (अ), तारीख 12 जनवरी, 2009 द्वारा प्रकाशित की गई थी ।



MINISTRY OF POWER NOTIFICATION

New Delhi, the 5th January, 2010

s.o. 24(E)— In exercise of the powers conferred by clause (a) of section 14 of the Energy Conservation Act, 2001 (52 of 2001), the Central Government in consultation with the Bureau of Energy Efficiency, hereby makes the following amendments in the notification of the Government of India, in the Ministry of Power number S.O 181(E), dated the 12th January, 2009, namely:-

In the said notification, -


- (i) for the words "for household use upto a rated cooling capacity of 9000 kcal/hour", wherever they occur, the words "which are of window air conditioner and 1:1 high wall split air conditioner type up to a rated cooling capacity of 10,465 Watts (9000 kcal/hour)" shall be substituted;
- (ii) for sub-paragraph (1) of paragraph 2, the following sub-paragraph shall be substituted, namely:-

"Star rating or star level plan.-(1) The star level of the room air conditioner shall be determined by Energy Efficiency Ratio which shall be obtained from the following Table 2.1 or 2.2 or 2.3, depending on the year of manufacturing or import or sale, namely:-

SL. No.	Period of Product Manufacturing or Import or Sale	Table to be used
1	From the date of publication of these orders till 31.12.2011.	2.1
2	From 01.01.2012 to 31.12.2013.	2.2
3	From 01.01.2014 to 31.12.2015.	2.3

Table 2.1: Star level valid from the date of publication of these orders till 31.12.2011.

	Energy Efficiency Ratio (Watt/Watt)		
Star level	Minimum	Maximum	
1 Star *	2.30	2.49	
2 Star **	2.50	2.69	
3 Star ***	2.70	2.89	
4 Star ****	2.90	3.09	
5 Star *****	3.10		





SHARRING

EXTRAORDINARY

भाग 11—खण्ड ३—३ए-खण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii) प्राधिकार से प्राक्षांत्रिक PUBLISHED 5Y AUTHORITY

#£ 371

नई दिस्सी, सोमवार, जनवरी 9, 2012/पीप 19, 1933

No. 371

NEW DELHI, MONDAY, JANUARY 9, 2012/PAUSA 19, 1933

विद्युत मंत्रालय अधिसूचना

नई दिल्ली, 9 जनवरी, 2012

का.आ. 43(अ).— केंद्रीय सरकार, ऊर्जा सरक्षण अधिनियम, 2001 (2001 का 52) की घारा 14 क खण्ड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए ऊर्जा दक्षता ब्यूरों के परामर्श से मारत सरकार के विद्युत मंत्रालय की अधिसूचना का.आ. संख्यांक 181 (अ), तारीख 12 जनवरी, 2009 में निम्नलिजित और संशोधन करती है, अर्थात् :--

उक्त अधिसूचन। में, पैरा 2 के उप पैरा (1) के स्थान पर निम्नलिखित उप पैरा रखा जाएगा, अर्थात् :--

"(1) कंद्रा वातानुकृतकों में सितारा स्तर का अवधारण कजा टक्ता अनुपात द्वारा किया जाएगा, जो सारणी 2.1 या सारणी 2.2 या सारणी 2.3 से, नीचे की सारणी में उब विनिर्देश्ट इसके विनिर्माण या आयात वा क्य या विकय के आधार पर, अभिग्रान्त किया जाएगा, अर्थात् -

रगरणी

क.सं.	उत्पाद विनिर्माण या आयात या कय या जिया	उपयोग की जाने वाली सारणी
1.	यूनिटरी टाईप वातानुकूलक – 1 जगवरी, 2012 से 31 दिसम्बर, 2013 तक	2.1
2	स्पितट टाईप धातानुकूलक — (i) 1जनवरी, 2012 से 31 दिसम्बर, 2013 तक (ii) 1जनवरी, 2014 से 31 दिसम्बर, 2015 तक	2.2



सारणी -2.1 यूनिटरी टाईप बातानुकूलक के लिए सितास स्तर विधिमान्य (1जनवरी, 2012 से 31 दिसम्बर, 2013 तक)

	कर्जा दसता अनुपात (बाट / वाट)	
स्टार रेटिंग	न्यूनतम	अधिकतम
1 सितारा*	2.30	2,49
2 सिलारः**	2.50	2.69
3 सितास***	2.70	2.89
4 सितारा****	2.90	3.09
5 सितारा****	3.10	

सारणी -2.2 रिप्लट टाईप वातानुकूलक -के लिए सितास स्तर विभिगाना (1जनवरी, 2012 से 31 दिसम्बर, 2013 तक)

	कर्जा दक्षता अनुपात (वाट / वाट)	
रटार एटिन	न्यूनतम	- अधिकतम
1 सिवास*	2.50	2.69
2 सितारा**	2.70	2.89
3 सितारा***	2.90	3.09
4 सितास****	3.10	3.29
5 सितारा****	3.30	

सारणी -2.3 स्पितट टाईप वातानुकूलक -के लिए सितार: स्तर गिरिणान्य (1जनवरी, 2014 से 31 दिसम्बर, 2015 तक)

	ऊर्जा दक्षता अनुपार	(बाट / बाट)
स्टार रेटिंग	न्यूनतम	अधिकारम
1 सितारा*	2.70	2.89
2 सितारा**	2.90	3.09
3 सितारा ***	3.10	3.29
t सितास****	3.30	3,49
सितारा*****	3,50"	

[फा. सं. 10/6/2004-ईसी-खण्ड 1]

देवेन्द्र सिंह, संयुक्त सचिव

पाद टिप्पण :-- मूल अधिरानाना भारत के राजपत्र में का.श. संख्यांक 181 (अ), तारीख 12 जनवरी, 2009 द्वारा प्रकाशित की गई थी और सूचना का.आ. संख्यांक 24 (अ), तारीख 5 जनवरी, 2010 द्वारा उसका अन्तिम संशोधन किया गया था।



MINISTRY OF POWER NOTIFICATION

New Delhi, the 9th January, 2012

S.O. 43(E).—In exercise of the powers conferred by clause (a) of section 14 of the Energy Conservation Act, 2001 (52 of 2001), the Central Government, in consultation with the Bureau of Energy Efficiency, hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of Power number S.O 181(E), dated the 12th January, 2009, namely:-

In the said notification, for sub-paragraph (1) of paragraph 2, the following sub-paragraph shall be substituted, namely:-

"(1) The star level of the room air conditioners shall be determined by Energy Efficiency Ratio, which shall be obtained from Table 2.1 or Table 2.2 or Table 2.3, on the basis of their manufacture or import or purchase or sale, as specified in the Table below, namely:-

Table

SL. No.	Manufacture or import or purchase or sale.	Table to be used
1.	Unitary type air conditioners – From 1 st January, 2012 to 31 st December, 2013.	2.1
2	Split type air conditioners-	
	(i) From 1 st January, 2012 to 31 st December, 2013	2.2
	(ii) From 1 st January, 2014 to 31 st December,2015.	2.3

Table 2.1

Star level valid for unitary type air conditioners
(from 1st January,2012 to 31st December, 2013)

	Energy Efficiency Ratio (Watt/Watt)		
Star level	Minimum	Maximum	
1 Star *	2.30	2.49	
2 Star **	2.50	2.69	
3 Star ***	2.70	2.89	
4 Star ****	2.90	3.09	
5 Star *****	3.10		

Table 2.2
Star level valid for split type air conditioners (from 1st January, 2012 to 31st December, 2013)

	Energy Efficiency Ratio (Watt/Wa		
Star level	Minimum	Maximum	
1 Star *	2.50	2.69	
2 Star **	2.70	2.89	
3 Star ***	2.90	3 09	
4 Star ****	3.10	3.29	
5 Star ****	3.30		

Table 2.3
Star level valid split type air conditioners
(from 1st January, 2014 to 31st December, 2015)

	Energy Efficiency Ratio (Watt/Watt	
Star level	Minimum	Maximum
1 Star *	2.70	2.89
2 Star **	2.90	3.09
3 Star ***	3.10	3.29
4 Star ****	3.30	3.49
5 Star *****	3.50"	

[F. No. 10/6/2004-EC-Vol. 1]

DEVENDER SINGH, Jt. Secy.

Footnote: The principal notification was published in the Gazette of India vide number S.O. 181(E), dated the 12th January, 2009 and last amended vide number S.O.24(E), dated the 5th January, 2010.



असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii) प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

ਸਂ. 1520] No. 1520] नई दिल्ली, मंगलवार, जुलाई 2, 2013/ आषाढ़ 11, 1935

NEW DELHI, TUESDAY, JULY 2, 2013/ ASADHA 11, 1935

विद्युत मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 2 जुलाई 2013

का.आ. 1970(अ).— केंद्रीय सरकार, ऊर्जा संरक्षण अधिनियम, 2001 (2001 का 52) की धारा 14 के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, ऊर्जा दक्षता ब्यूरो से विचार विमर्श करके विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना सं. सा.का.नि. 181(अ), तारीख 12 जनवरी, 2009 का निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात्:—

उक्त अधिसूचना की नीचे सारणी के पैरा 2 के उप-पैरा (1) में,

'(i) कम सं. 1 के सामने की प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात्:-

1.	"एकिक प्रकार के वातानुकूलक—	
	(i) 1 जनवरी, 2012 से 31 दिसंबर, 2013 तक	2.1
	(ii) 1 जनवरी, 2014 से 31 दिसंबर, 2015 तक	2.2",

(ii) 'सारणी 2.3, के पश्चात, निम्नलिखित ''सारणी'' अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात्:--

रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99



असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2822] No. 2822] नई दिल्ली, बुधवार, दिसम्बर 30, 2015/पौष 9, 1937

NEW DELHI, WEDNESDAY, DECEMBER 30, 2015/PAUSA 9, 1937

विद्युत मंत्रालय अधिसूचना

नई दिल्ली, 29 दिसम्बर, 2015

का.आ. 3543(अ).—केंद्रीय सरकार ऊर्जा संरक्षण अधिनियम, 2001 (2001 का 52) की धारा 14 के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, ऊर्जा दक्षता ब्यूरो के परामर्श से भारत सरकार, विद्युत मंत्रालय की अधिसूचना सं. का.आ. 181 (अ) तारीख 12 जनवरी, 2009 में निम्नलिखित और संशोधन करती है; अर्थात् :— उक्त अधिसूचना में —

- (i) पैरा 1 में उप पैरा (1) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्:—
- "(1) भारत में निर्मित, वाणिज्यिक रूप से खरीदे अथवा विक्रित किए जा रहे 10,465 वाट (9000 केकैल/घंटा) तक की श्रेणीबद्ध कूलिंग क्षमता तक के वाष्प कंप्रेशर प्रकार के रूम एयर कंडीशनरों जो विंडों एयर कंडिश्नर तथा 1:1 उच्च वॉल एयर स्प्लिट एयर कंडिश्नर, छत पर लगाए गए स्प्लिट एयर कंडीशनर, फ्लोर स्टेन्डिंग स्प्लिट एयर कंडीशनर को आरूढ़ किया जाएगा -
 - (i) एकिक एयर कंडिशनरों के लिए आईएस 1391 (भाग 1) 1992 के "अधिकतम प्रचालनस्थितियां परिक्षण" शीर्षक के अंतर्गत खंड 10.4 में तथा स्प्लिट एयर कंडिशनरों के लिए आईएस 1391 (भाग 2): 1992 के "अधिकतम प्रचालन स्थितियां परिक्षण की जांच" शीर्षक के अंतर्गत खंड 9.4 में सभी संशोधनों के साथ निहित अनुपालन अपेक्षाओं को पूरा करेगा।
 - (ii) या तो भारतीय मानक ब्यूरो का प्रमाणन चिह्न अंकित होगा अथवा विनिर्माता को आईएस/आईएसओ 9000 अथवा उपरोक्त के अनुसार प्रमाणित होना चाहिए;
- (ii) पैरा 2 में, उप पैरा (1) और उप पैरा (2) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्:—
 "(1) रूम एयर कंडिशनर का स्टॉर लेबल ऊर्जा दक्षता अनुपात (ईईआर) द्वारा अवधारित किया
 जाएगा जो विनिर्माण अथवा वाणिज्यिक रूप से क्रय अथवा विक्रय के वर्ष पर निर्भर करते हुए

सारणी 2.1 अथवा सारणी 2.2 अथवा सारणी 2.3 अथवा सारणी 2.4 अथवा सारणी 2.5 अथवा सारणी 2.6 से अभिप्राप्त किया जाएगा।"

क्र. सं.	विनिर्मित या वाणिज्यिक रूप से क्रय अथवा विक्रित किए गए उत्पाद	उपयोग की जाने वाली सारणी
एकिक प्र	कार के एयर कंडीशनर	
(i)	1 जनवरी, 2012 से 31 दिसम्बर, 2013 तक	2.1
(ii)	1 जनवरी, 2014 से 31 दिसम्बर, 2015 तक	2.4
(iii)	1 जनवरी, 2016 से 31 दिसम्बर, 2017 तक	2.5
स्प्लिट प्र	कार के एयर कंडीशनर	
(i)	1 जनवरी, 2012 से 31 दिसम्बर, 2013 तक	2.2
(ii)	1 जनवरी, 2014 से 31 दिसम्बर, 2015 तक	2.3
(iii)	1 जनवरी, 2016 से 31 दिसम्बर, 2017 तक	2.6

सारणी 2.1 एकिक प्रकार के एयर कंडीशनरों के लिए विधिमान्य स्टार स्तर (1 जनवरी, 2012 से 31 दिसम्बर, 2013 तक)

	ऊर्जा दक्षता अनुपात (वाट/वाट)	
स्टार स्तर	न्यूनतम	अधिकतम
1 स्टार *	2.70	2.89
2 स्टार **	2.90	3.09
3 स्टार **	3.10	3.29
4 स्टार ****	3.30	3.49
5 स्टार ****	3.50	

सारणी 2.2 स्प्लिट प्रकार के एयर कंडीशनरों के लिए विधिमान्य स्टार स्तर (1 जनवरी, 2012 से 31 दिसम्बर, 2013 तक)

	ऊर्जा दक्षता अनुपात (वाट/वाट)	
स्टार स्तर	न्यूनतम	अधिकतम
1 स्टार*	2.50	2.69
2 स्टार**	2.70	2.89
3 स्टार**	2.90	3.09

4 स्टार****	3.10	3.29
5 स्टार****	3.30	

सारणी 2.3 स्प्लिट प्रकार के एयर कंडीशनरों के लिए विधिमान्य स्टार स्तर (1 जनवरी, 2014 से 31 दिसम्बर, 2015 तक)

Service - 1	ऊर्जा दक्षता अनुपात (वाट/वाट)	
स्टार स्तर	न्यूनतम	अधिकतम
1 स्टार*	2.70	2.89
2 स्टार**	2.90	3.09
3 स्टार***	3.10	3.29
4 स्टार****	3.30	3.49
5 स्टार****	3.50	

सारणी 2.4 एकिक प्रकार के एयर कंडीशनरों के लिए विधिमान्य स्टार स्तर (1 जनवरी, 2014 से 31 दिसम्बर, 2015 तक)

AL PREPARED TO SE	ऊर्जा दक्षता अनुपात (वाट/वाट)	
स्टार स्तर	न्यूनतम	अधिकतम
1 स्टार*	2.50	2.69
2 स्टार**	2.70	2.89
3 स्टार***	2.90	3.09
4 स्टार****	3.10	3.29
5 स्टार****	3.30	

सारणी 2.5 एकिक प्रकार के एयर कंडीशनरों के लिए विधिमान्य स्टार स्तर (1 जनवरी, 2016 से 31 दिसम्बर, 2017 तक)

स्टार स्तर	ऊर्जा दक्षता अनुपात (वाट/वाट)	
	न्यूनतम	अधिकतम
1 स्टार*	2.50	2.69
2 स्टार**	2.70	2.89
3 स्टार***	2.90	3.09
4 स्टार****	3.10	3.29
5 स्टार****	3.30	

सारणी 2.6 स्प्लिट प्रकार के एयर कंडीशनरों के लिए विधिमान्य स्टार स्तर (1 जनवरी, 2016 से 31 दिसम्बर, 2017 तक)

स्टार स्तर	ऊर्जा दक्षता अनुपात (वाट/वाट)	
	न्यूनतम	अधिकतम
1 स्टार *	2.70	2.89
2 स्टार **	2.90	3.09
3 स्टार ***	3.10	3.29
4 स्टार ****	3.30	3.49
5 स्टार ****	3.50	

(2) उपर्युक्त सारणियों में विनिर्दिष्ट मॉडलो के लिए चुने गए स्टार स्तर प्रत्येक स्टार स्तर बैंड के ऊर्जा दक्षता अनुपातों की न्यूनतम और अधिकतम सीमाओं पर आधारित होगा और ऐसे एयर कंडिशनरों के लिए न्यूनतम ऊर्जा कार्यनिष्पादन स्तर में उन्नयन की दृष्टि से 01 जनवरी, 2016 से 1 स्टार (ईईआर 2.50 – 2.69) के एकिक एयर कंडिशनरों पर सारणी 2.5 में विनिर्दिष्ट विवरणों तथा स्टॉर 1 (ईईआर 2.70-2.89) के लिए 1:1 उच्च वाल स्पिट एयर कंडीशनरों पर सारणी 2.6 में विनिर्दिष्ट विवरणों को प्रदर्शित करने की अनुज्ञा नहीं होगी।

[सं.13/16/2015-ईसी] सतीश कुमार, संयुक्त सचिव

टिप्पण.- मूल अधिसूचना सख्यांक का.आ. 181(अ) तारीख 12 जनवरी, 2009 द्वारा भारत के राजपत्र, भाग II, खंड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशित की गयी थी और संख्यांक का.आ. 1970(अ) तारीख 2 जुलाई, 2013 द्वारा अंतिम बार प्रकाशित की गयी थी।

MINISTRY OF POWER NOTIFICATION

New Delhi, the 29th December, 2015

S.O. 3543(E).—In exercise of the powers conferred by clause (a) of section 14 of the Energy Conservation Act, 2001 (52 of 2001), the Central Government, in consultation with the Bureau of Energy Efficiency, hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of Power number S.O.181 (E), dated the 12th January, 2009, namely:—

In the said notification,-

- (i) in paragraph 1, for sub-paragraph(1), the following shall be substituted, namely:—
 - '(1) The room air conditioners of the vapour compression type which are of window air conditioner and 1:1 high wall split air conditioner, ceiling mounted split air conditioner, floor standing split air conditioner up to a rated cooling capacity of 10,465 watts (9,000 kCal/hour) being manufactured, commercially purchased or sold in India shall -
 - (i) meet the compliance requirements contained in clause 10.4 under the heading "Maximum Operating Conditions Test" of IS 1391(Part 1): 1992 for unitary air conditioners and clause 9.4 under the heading "Maximum Operating Conditions Test" of IS 1391(Part 2): 1992 for split air conditioners, with all amendments.

- (ii) either carry BIS certification mark or the manufacturer should be certified against IS/ISO 9000 or above.';
- (ii) in paragraph 2, for sub-paragraph (1) and sub-paragraph (2), the following shall be substituted, namely:—
 - "(1) The star rating or star level of the room air conditioner shall be determined by Energy Efficiency Ratio (EER) which shall be obtained from Table 2.1 or Table 2.2 or Table 2.3 or Table 2.4 or Table 2.5 or Table 2.6 depending on the year of manufacturing or commercial purchase or sale.

Sl. No.	Product manufactured or commercially purchased or sold	Table to be used.	
Unitary ty	pe air conditioners.		
(i)	From 1 st January, 2012 to 31 st December, 2013	2.1	
(ii)	From 1st January, 2014 to 31st December, 2015	2.4	
(iii)	From 1st January, 2016 to 31st December, 2017	2.5	
	air conditioners		
(i)	From 1st January, 2012 to 31st December, 2013	2.2	
(ii)	From 1st January, 2014 to 31st December, 2015	2.3	
(iii)	From 1 st January, 2016 to 31 st December, 2017	2.6	

Table 2.1
Star level valid for unitary type air conditioners
(From 1st January, 2012 to 31st December, 2013)

Star level	Energy Efficiency Ratio (Watt/Watt)	
	Minimum	Maximum
1 Star*	2.70	2.89
2 Star**	2.90	3.09
3 Star***	3.10	3.29
4 Star****	3.30	3.49
5 Star****	3.50	

Table 2.2
Star level valid for split type air conditioners
(From 1st January, 2012 to 31st December, 2013)

Star level	Energy Efficiency Ratio (Watt/Watt)	
	Minimum	Maximum
1 Star*	2.50	2.69
2 Star**	2.70	2.89

3 Star***	2.90	3.09
4 Star****	3.10	3.29
5 Star****	3.30	

Table 2.3

Star level valid for split type air conditioners

(From 1st January, 2014 to 31st December, 2015)

Star level	Energy Efficiency Ratio (Watt/Watt)	
	Minimum	Maximum
1 Star*	2.70	2.89
2 Star**	2.90	3.09
3 Star***	3.10	3.29
4 Star***	3.30	3.49
5 Star****	3.50	AP BYTELK TEE

Table 2.4

Star level valid for unitary air conditioners

(From 1st January, 2014 to 31st December, 2015)

Star level	Energy Efficiency Ratio (Watt/Watt)	
	Minimum	Maximum
1 Star*	2.50	2.69
2 Star**	2.70	2.89
3 Star***	2.90	3.09
4 Star***	3.10	3.29
5 Star****	3.30	

Table 2.5
Star level valid for unitary type air conditioners
(From 1st January, 2016 to 31st December, 2017)

Star level	Energy Efficiency Ratio (Watt/Watt)	
	Minimum	Maximum
1 Star*	2.50	2.69
2 Star**	2.70	2.89
3 Star***	2.90	3.09
4 Star****	3.10	3.29
5 Star****	3.30	SELECTION OF THE PARTY.

Table 2.6 Star level valid for split type air conditioners (From 1st January, 2016 to 31st December, 2017)

	Energy Efficiency Ratio (Watt/Watt)	
Star level	Minimum	Maximum
1 Star*	2.70	2.89
2 Star**	2.90	3.09
3 Star***	3.10	3.29
4 Star****	3.30	3.49
5 Star****	3.50	

(2) The star level chosen for the models will be based on minimum and maximum limits of energy efficiency ratios of each star level band specified in tables above and the permission for display of particulars on the unitary air conditioners for 1 star (EER 2.50 – 2.69) specified in table 2.5 and 1:1 high wall split air conditioners for star 1 (EER 2.70-2.89) specified in Table 2.6 shall not be permitted with effect from the 1st January,2016 with a view to upgrading the minimum energy performance level of such air conditioners."

[No.13/16/2015-EC]

SATISH KUMAR, Jt. Secy.

Note: The principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, section 3, sub-section (ii) *vide* notification number S.O. 181(E), dated the 12th January, 2009 and was last amended vide number S.O. 1970(E), dated the 2nd July, 2013.

रिवारी सं की एल०-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

HRAA AN SIUNI The Gazette of India

EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4 PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

ਜਂ. 113] No. 113] नई दिल्ली, मंगलवार, जुलाई 7, 2009/आषाढ़ 16, 1931 NEW DELHI, TUESDAY, JULY 7, 2009/ASADHA 16, 1931

> ऊर्जा दक्षता ब्यूरो अधिसूचना

नई दिल्ली, 6 जुलाई, 2009

सं. 2/11(5)/03-बी.ई.ई.-2.— ऊर्जा संरक्षण अधिनियम, 2001 (2001 का 52) की उपधारा (1) के अधीन अपेक्षित किए गए अनुसार, ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (कक्ष वातानुकूलक के लेबलों पर उनके संप्रदर्शन की विशिष्टियां और रीति) विनियम, 2009 नामक प्रारूप विनियमों को, भारत के राजपत्र असाधारण भाग III, खण्ड 4, तारीख 12 जनवरी, 2009 में अधिसूचना सं0 2/11(5)/03-बीईई-2 तारीख 12 जनवरी, 2009 द्वारा प्रकाशित किया गया था जिसमें ऐसे व्यक्तियों से जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना थी, उक्त अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से पैतालीस दिन की विनिर्दिष्ट अविध के भीतर आक्षेप और सुझाव आमंत्रित किए गए थे

और उक्त प्रारूप विनियमों की प्रतियां जनता को 12 जनवरी. 2009 को उपलब्ध करा दी गई थी; और पूर्वोक्त विनिर्दिष्ट अविध के भीतर उक्त प्रारूप विनियमों के सम्बन्ध में सुझाव प्राप्त हुए हैं; और इस सम्बन्ध में प्राप्त सुझावों पर विचार कर लिया गया है।

अतः अब ब्यूरो, उक्त अधिनियम की धारा 14 के खण्ड (घ) के साथ पिटत, धारा 58 की उपधारा

- (2) के खण्ड (झ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन से, निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात् :--
- 1. संक्षिप्त नाम और प्रारंग (1) इन विनियमों का संक्षिप्त नाम ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (कक्ष वातानुकूलक के लेबलों पर उनके संप्रदर्शन की विशिष्टियां और रीति) विनियम, 2009 है।
 - (2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
 - 2. परिमाषाएं (1) इन विनियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,-
 - (क) "अधिनियम" से ऊर्जा संरक्षण अधिनियम, 2001 अभिप्रेत हैं।
- (ख) "लेबल" से कोई लिखित, मुद्रित, चिह्नित, मुद्रांकित या चित्रित विषय अभिप्रेत है जो वातानुकूलक पर चिपकाया गया है या प्रकट है;
- (ग) "मॉडल" किसी विशेष ब्रान्ड की मॉडल श्रृंखला, जिस पर एक ही परीक्षण रिपोर्ट लागू होती है और जहां पर प्रत्येक मॉडल की भौतिक विशेषताए, तुलनात्मक ऊर्जा खपत, ऊर्जा दक्षता रेटिंग तथा निष्पादन अभिलक्षण एक ही होते हैं और उसमें "मॉडल परिवार" सम्मिलित है, अभिप्रेत है;
- (घ) "कक्ष वातानुकूलक" से 10,465 वाट्स या नौ हजार किलो कैलोरी/घंटे की रेटिड प्रशीतन क्षमता तक घरेलू उपयोग के लिए वाष्य संपीडन का वातानुकूलक अभिप्रेत है और जिसके अंतर्गत भारतीय मानक 1391 (भाग–1): 1992, और भारतीय मानक 1391 (भाग–2): 1992 के क्षेत्र के भीतर आने वाले एक सिंगल फेज स्पिल्ट और यूनिटरी वातानुकूलक भी होंगे किन्तु, जिसके अंतर्गत ऐसे अन्य कक्ष वातानुकूलक नहीं होंगे जो भारतीय मानक 1391 (भाग–1): 1992, और भारतीय मानक 1391 (भाग–2): 1992 के क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आते हैं, समुचित परीक्षण प्रणाली के विकास के लिए लंबित हैं या जिनमें एक से अधिक अंतरण यूनिट वाले मल्टी स्पिल्ट प्रणाली है और प्रत्येक अंतरण यूनिट के लिए स्वतंत्र नियंत्रण है या वाष्यशील प्रशीतक है या कोई अन्य प्रशीतन प्रणाली है जो वाष्य संपीडन प्रकार की नहीं है;
- (ङ) "सितारा रेटिंग या सितारा स्तर" से कक्ष वातानुकूलक की ऊर्जा दक्षता को अंकित करने के लिए ऊर्जा खपत पर आधारित कक्ष वातानुकूलक के लेबल पर संप्रदर्शित ऊर्जा दक्षता की श्रेणी अभिप्रेत है।
- (2) जन शब्दों और पदों के, जो इसमें प्रयुक्त हैं और परिमाषित नहीं हैं किन्तु अधिनियम में परिभाषित हैं, वदी अर्थ है जो अधिनियम में हैं।


- 3. लेबल पर प्रदर्शित की जाने वाली विशिष्टियां (1) प्रत्येक कक्ष वातानुकूलक लेबल पर निम्नलिखित विशिष्टियां प्रदर्शित की जाएगी, अर्थात्–
 - (क) ऊर्जा दक्षता ब्यूरो का लोगो;
 - (ख) वातानुकूलक का प्रकार;
 - (ग) विनिर्माता या आयातकर्ता का नाम और ब्रांड
 - (घ) मॉडल तथा विनिर्माण या आयात का वर्ष:
 - (ङ) प्राधिकार संख्या;
 - (च) प्रशीतन क्षमता वॉट्स में;
 - (छ) विद्युत खपत वॉट्स में
 - (ज) वातानुकूलक का सितारा स्तर;
 - (झ) परिवर्तनीय गति संपीड़क (हां / नहीं);
 - (ञ) ऊष्मा पंप (हां/नहीं)
 - (ट) ऊर्जा दक्षता अनुपात अर्थात प्रशीतन क्षमता वॉटस में /विद्युत खपत वाट्स में
- (2) डिजाइन, रंग, आकार और लेबल की अंतर्वस्तु वह होगी जो इन विनियमों से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट है।
- 4. लेबलों को प्रदर्शित करने की समय—सीमा विनियम 3 में विनिर्दिष्ट विशिष्टियों वाले लेबल को इन विनियमों के प्रवर्तन में आने की तारीख से छह मास की अविध के भीतर, प्रत्येक कक्ष वातानुकूलक पर प्रदर्शित किया जाएगा।
- 5. लेबल के संप्रदर्शन की रीति —(1) प्रत्येक कक्ष वातानुकूलक के लेबल पर पैमाना बिन्दु पर विक्रय के समय संप्रदर्शित किया जाएगा और ऐसा लेबल उस पर संप्रदर्श फ्रंट पर लटकते हुए टैग के रूप में चिपकाया या संलग्न किया जाएगा।
- (2) जो यूनिटें संप्रदर्शन नहीं कर रही हैं, वहां लेबल मंजूषा के बाहरी भाग पर संलग्न किया जा सकेगा और यूनिट में तभी लेबल संलग्न किया जा सकेगा जब उसकी पैकिंग रो यूनिट हटा दी गई हो या लेबल को उपभोक्ता या उपभोक्ता को दिए गए दस्तावेजों के भाग के रूप में सम्मित्त किया गया हो।

अनुसूची


[(विनियम 3(2) देखें]

कक्ष वातानुकूलकों के लेबलों पर उनके संप्रदर्शन की विशिष्टियों के ब्यौरे-

- (1) लेबल डिज़ाईन (अभिकल्प), आकार, रंग योजना और लेबल की अंतर्वस्तु में निम्नलिखित सम्मिलित होगा —
 - (i) लेबल का विभिय डिज़ाइन निम्न प्रकार से होगी, अर्थात्-



(ii) लेबल की रंग-योजना इस प्रकार होगी, अर्थात्-




(iii) ब्यूरो के लोगो के लिए रंग — योजना इस प्रकार होगी, अर्थात—नीला रंगत (H): 239° संतृप्ति (S): 64%, द्युति (B): 59% ज्योतिर्भयता अथवा हल्कापन (L): 28 रंग संबंधी घटक a:24 b:54 लाल (R): 54 हरा (G): 55 नीला (B): 151 सायन (C): 97% मेजेन्टा (M): 95% पीला (Y): 6% काला (K): 1% वेब रंग कोड — #363797

2477 62/09-3

हरा

रंगत (H): 150° संतृप्ति (S): 10%, चमकीलापन (B): 67% ज्योतिर्मयता अथवा हल्कापन (L): 61 रंग संबंधी घटक a:53 b:32 लाल (R): 0 हरा (G):170 नीला (B): 87 सायन (C): 81% मेजेन्टा (M): 10% पीला (Y): 90% काला (K): 1% वेब रंग कोड - #00AA56 (iv) कक्ष वातानुकूलक के लिए मुदित लेबल का नमूना निम्न है, अर्थात्-



EER (W/W)

Appliance/Type	: RAC / XXX
Brand	: XXX
Model/Year	: ABCYYYY
Cooling Capacity (W)	: XXXX
Power Consumption (W)	: XXXX
Variable Speed Compressor	: Yes/No
Heat Pump	: Yes/No



'Under test conditions, when tested in accordance with relevant standards Actual electricity consumption will depend on how the appliance is being used

लेबल की सामग्री टिकाऊ गत्ते की होनी चाहिए, यदि इसे झूलने वाले टैंग की तरह लगाना है (2) अथवा चिपकाना है। अजय माधर महानिदेशक

[विज्ञापन []]/4/185/09 असा]

THE BUREAU OF ENERGY EFFICIENCY NOTIFICATION

New Delhi, the 6th July, 2009

No. 2/11(5)/03-BEE.-2.—Whereas the draft regulations namely, the Bureau of Energy Efficiency (Particulars and Manner of their Display on Labels of Room Air Conditioners) Regulations, 2009, were published *vide* notification number 2/11(5)/03-BEE.-2,dated 12th January,2009,in the Gazette of India, Extraordinary, Part III, Section 4, dated the 12th January,2009, as required under sub-section (1) of section 58 of the Energy Conservation Act, 2001 (52 of 2001), inviting objections or suggestions from persons likely to be affected thereby within the specified period of forty-five days from the date of publication of the said notification in the Official Gazette;

And whereas copies of the said draft regulations were made available to the public on the 12th January, 2009;

And whereas suggestions have been received with respect to the said draft regulations within the specified period aforesaid;

And whereas the suggestions received in this regard have been taken into consideration;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by clause (i) of subsection (2) of section 58 read with clause (d) of section 14 of the said Act, the Bureau, with the previous approval of the Central Government, hereby makes the following regulations, namely:-

- 1. Short title and commencement.- (1) These regulations may be called the Bureau of Energy Efficiency (Particulars and Manner of their Display on Labels of Room Air Conditioners) Regulations, 2009.
- (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
- 2. Definition. (1) In these regulations, unless the context otherwise requires,-
 - (a) "Act" means the Energy Conservation Act, 2001;
 - (b) "label" means any written, printed, marked, stamped or graphic matter affixed to, or appearing upon, room air conditioner;

- (c) "models" mean the range of models of one particular brand to which a single set of test reports is applicable and where each of the models has the same physical characteristics, comparative energy consumption, energy efficiency level and performance characteristics and includes family of models;
- (d) "room air conditioner" means air conditioner of the vapour compression type for household use up to a rated cooling capacity of 10,465 watts or 9000 kcal/hour and shall include single-phase split and unitary air conditioners covered within the scope of IS 1391(Part 1):1992, and IS 1391 (Part 2):1992, but shall not include such other room air conditioner which is not covered within the scope IS 1391(Part 1):1992, and IS 1391 (Part 2):1992, pending the development of a suitable test method or multi-split systems having more than one indoor unit with an independent control for each indoor unit, or have evaporative cooler or any other cooling systems which are not of the vapour compression type;
- (e) "star rating or star level" means the grade of energy efficiency displayed on the label of the room air conditioner based on energy consumption to denote the energy efficiency of the air conditioner.
- (2) Words and expressions used herein and not defined, but defined in the Act, shall have meanings respectively assigned to them in the Act.
- 3. Particulars to be displayed on the labels.- (1) On every room air conditioner, the following particulars shall be displayed on its label, namely:-
 - (a) the logo of the Bureau of Energy Efficiency;
 - (b) type of air conditioner;
 - (c) name of manufacturer or importer and brand;
 - (d) model and year of manufacturing or import;
 - (e) authority number;
 - (f) cooling capacity in watts;
 - (g) power consumption in watts;
 - (h) star level of air conditioner;
 - (i) variable speed compressor(Yes/No);
 - (j) heat pump(Yes/No);
 - (k) energy efficiency ratio i.e., cooling capacity in watts by power consumption in watts.
- (2) The design, colour, size and content of label shall be as specified in the Schedule annexed to these regulations.

- 4. Time limit for display of labels.- A label containing particulars specified in regulation 3 shall be displayed on every room air conditioner within a period of six months from the date of coming into force of these regulations.
- 5. Manner of display of label. (1) Every room air conditioner shall display label at the time of sale and such label shall be either adhered to, or attached as a swing tag, on it.
- (2) For units not on display, the label may be attached to the exterior of the casing and the label may be attached to the unit when the unit is removed from its packaging or the label may be included as a part of the documentation given to the customer or user.


2477 GI/09-3

Schedule [See regulation 3(2)]

Details of particulars to be displayed on labels of Room Air Conditioners.

- (1) Label design, size, colour scheme and content of the label shall include (i) the following dimensional design of label ,namely:-
 - 63mm 60mm 10mm 14.5mm POWER SAVINGS 7mm 23mm 17.555mm ENERGY EFFICIENCY 4mm 2.90* 5mm EER (W/W) 4mm 3mm Appliance/Type RACIXXX 3mm : XXX 3mm ModelYear : ABCTYYY 3mm Cooling Capacity (W) : XXXX Power Consumption (W): XXXX 3mm Variable Speed Compressor : Yes/No 3mm 3mm 2.5mm Heat Pump : Yes/No 12mm 5mm 10mm 10mm 43mm 10mm

(ii.) the following colour scheme for the label, namely :-




(iii) the following colour scheme for Bureau's logo, namely:-

BLUE -

Hue(H)-239° Saturation(S):64% Brightness(B):59%
Lurninance or lightness(L):28, chromatic components -a:24 b:54
Red(R):54 Green(G):55 Blue(B):151
Cyan(C):97% Magenta(M):95% Yellow(Y):6% Black(K):1%
Web colour code - #363797
GREEN Hue(H)-150° Saturation(S):10% Brightness(B):67%
Luminance or lightness(L):61, chromatic components -a:-53 b:32
Red(R):0 Green(G):170 Blue(B):87
Cyan(C):81% Magenta(M):10% Yellow(Y):90% Black(K):1%
Web colour code - #00AA56;

(iv) the following complete specimen of a printed label for room air conditioner, namely:-



(2) Material of the label shall be of durable cardboard, if it is to be attached as a swing tag or be self-adhesive.

AJAY MATHUR, Director General [ADVT. III/4/185/09/Exty.]

REGD. NO. D. L.-33004/99



The Gazette of India

असाधारण EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4 PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

ti. 5] No. 5] नई दिल्ली, मंगलवार, जनवरी 5, 2010/पौष 15, 1931

NEW DELHI, TUESDAY, JANUARY 5, 2010/PAUSA 15, 1931

कर्जा दक्षता ब्यूरो

अधिसूचना

नई दिल्ली, 5 जनवरी, 2010

सं. 2/11(5)/03-बीईई-2.—ऊर्जा संरक्षण अधिनियम, 2001 (2001 का 52) की धारा 58 की उप-धारा (1) के अधीन यथापेक्षित ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (कक्ष वातानुकूलक के लेबलों पर उनके संप्रदर्शन की विशिष्टियां और रीति) संशोधन विनियम, 2009 का प्रारूप, ऐसे सभी व्यक्तियों से, जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना थी, राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से पैतालीस दिन की अविध के भीतर आक्षेप और सुझाव आमंत्रित करते हुए, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग III, खण्ड 4, तारीख 9 नवम्बर, 2009 में सं. 2/11(5)/03-बीईई-2, तारीख 5 नवम्बर, 2009 द्वारा प्रकाशित किया गया था।

और उक्त प्रारूप विनियमों की राजपत्र प्रतियां पूर्वोक्त राजपत्र में 9 नवम्बर, 2009 को प्रकाशित करा दी गई थीं;

और पूर्वोक्त विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर उक्त प्रारूप विनियमों के संबंध में जनता से कोई आक्षेप या सुझाव प्राप्त नहीं हुए हैं;

अत:, अब, ऊर्जा दक्षता ब्यूरो, केन्द्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन से, उक्त ऊर्जा संरक्षण अधिनियम की धारा 14 के खण्ड (घ) के साथ पठित धारा 58 की उप-धारा (2) के खंड (झ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात् :—

- 1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.—(1) इन विनियमों का संक्षिप्त नाम ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (कक्ष वातानुकूलक के लेबलों एर उनके संप्रदर्शन की विशिष्टियां और रीति) संशोधन विनियम, 2010 है।
 - (2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
- ঠ কর্जा दक्षता ब्यूरो (कक्ष वातानुकूलक के लेवलों पर उनके संप्रदर्शन की विशिष्टियां और रीति)संशोधन विनियम, 2009 (जिसे इसमें इसके पश्चात् मूल नियम कहा गया है) के विनियम 2 के उप-विनियम (1) में,—
 - (क) खंड (क) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"(कक) 'प्ररूप' से इन विनियमों से उपाबद्ध प्ररूप अभिप्रेत हैं".

(ख) खंड (ग) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"(गक) 'अनुज्ञा-पत्र धारी' से वह व्यक्ति अभिप्रेत है जिसको विनियम 7 के अधीन अनुज्ञा मंजूर की गई है : ";

पूल विनियम में, विनियम 5 के पश्चात् निम्नलिखित विनियम अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :--

(1

- "6. लेबल के संप्रदर्श के लिए अनुज्ञा—(1) ब्यूरो की अनुज्ञा प्राप्ति के बिना कोई लेबल कक्ष वातानुकूलक पर नहीं लगाया जाएगा ।
- (2) उपविनियम (1) के अधीन ब्यूरो की अनुज्ञा प्राप्त करने के प्रयोजन के लिए आवेदन प्ररूप । या इलेक्ट्रानिक रूप में किया जाएगा ।

परंतु कक्ष वातानुकूलक के प्रत्येक मॉडल के लिए पृथक आवेदन किया जाएगा ।

- (3) उपविनियम (2) के अधीन प्रत्येक आवेदन के साथ निम्नलिखित लगे होंगे-
- (क) ऊर्जा दक्षता ब्यूरो नई दिल्ली के पक्ष में आहरित डिमांड ड्राफ्ट या संदाय के किसी इलेक्ट्रानिक ढंग द्वारा संदेय एक हजार रुपए की आवेदन फीस ;
- (ख) ऊर्जा दक्षता ब्यूरो नई दिल्ली के पक्ष में डिमांड झ्राफ्ट द्वारा संदेय एक लाख रुपए का लेबल प्रतिभूति फीस या संदाय किसी इलेक्ट्रानिक ढंग से ; और
- (ग) उसमें विनिर्दिष्ट दस्तावेज ।
- 7. अनुज्ञा की मंजूरी-(1) विनियम 6 के अंधीन प्राप्त आवेदन पर विचार करने के पश्चात् और यह समाधान हो जाने के पश्चात् कि उसमें सभी अपेक्षाओं का पालन किया गया है। ब्यूरो इस प्रकार प्राप्ति की तारीख से एक मास की अविध के भीतर विनियम 8 में विनिर्दिष्ट ऐसे निबंधनों और शर्तों के अध्यधीन प्ररुप 2 या इलेक्ट्रानिक प्ररुप में कक्ष वातानुकूलक पर लेबल चिपकाने के लिए आवेदक को अनुज्ञा जारी करेगा।
- (2) ब्यूरो प्ररुप 3 में रिजस्टर रखेगा और उसमें अनुज्ञा-पत्र धारी का नाम रिजस्टर करेगा ।
- (3) उपविनियम (1) के अधीन इस प्रकार मंजूर की गई अनुज्ञा, तीन वर्ष की अवधि के लिए विधिमान्य होगी और जिसे तीन वर्ष की और अवधि के लिए नवीकृत किया जा सकेगा।
- (4) अनुज्ञा के नवीकरण के लिए कोई आवेदन इसकी समाप्ति से कम से कम तीन मास पूर्व किया जाएगा और उसके साथ ऊर्जा दक्षता ब्यूरो, नई दिल्ली के पक्ष में आहरित डिमांड ड्राफ्ट में या संदाय के इलेक्ट्रानिक ढंग द्वारा संदेय पांच सौ रुपए की फीस लगी होगी।
- (5) उपविनियम (4) के अधीन नवीकरण के लिए आवेदन की प्राप्ति पर और यह समाधान हो जाने पर कि इसमें साथ सभी अपेक्षाओं का पालन किया गया है, ब्यूरो ऐसी प्राप्ति के एक मास की अविध के भीतर प्ररुप 2 में अनुज्ञा की नवीकरण कर सकेगा।
- 8. लेबल पर विशिष्टियों को प्रदर्शित करने के लिए निबंधन और शर्तै--प्रत्येक अनुज्ञा-पत्र धारी निम्नलिखित निबंधनों और शर्तों का पालन करेगा, अर्थात :--
- (क) कक्ष वातानुकूलक के लेबल पर प्रदर्शित सितारा स्तर अधिनयम की धारा 14 के खंड (क) के अधीन अधिसूचित कक्ष वातानुकूलक के लिए ऊर्जा खपत मानकों के अनुरूप होगा ।
- (ख) लेबल केवल ऐसे कक्ष वातानुकूलक के मॉडल पर चिपकाया जाएगा जिसके लिए अनुज्ञा की पजूरी दी गई है;
- (ग) अनुज्ञा-पत्र धारी अपनी लागत पर, लेबल को मुद्रित करेगा और कक्ष वातानुकूलक पर चिपकाएगा

- (घ) अनुज्ञा-पत्र धारी यह सुनिश्चित करेगा कि कक्ष वातानुकूलक के लेबल पर प्रदर्शित सितारा स्तर हर समय अनुरक्षित रखा जाता है ;
- (ड) आवेदक विनियम 9 में यथाविनिर्दिष्ट लेबल फीस का संदाय करेगा ;
- (च) अनुज्ञा-पत्र धारी लेबलीकृत उपस्कर के उत्पादन के ब्यौरों से अंतर्विष्ट एक विवरण और वित्तीय वर्ष के प्रत्येक तिमाही के आगामी समापन के भीतर प्रत्येक तिमाही के लिए देय उद्भूत लेबल की फीस प्रस्तुत करेगा।
- (छ) अनुज्ञा-पत्र धारी ऐसे निबंधन और शर्तों का पालन करेगा जिसे ब्यूरो विनिर्दिष्ट करे ।
- 9. लेबल फीस-(1) प्रत्येक अनुज्ञा-पत्र <mark>धारी ब्यूरो को कक्ष वातानुकूलक इस प्रकार चिपकाए गए लेबल पर</mark> तीस रुपए की लेबल फीस का संदाय करेगा ।
- (2) उपविनियम (1) के अधीन विनिर्दिष्ट लेबल फीस प्रत्येक वित्तीय वर्ष की अंतिम तारीख से एक मास के भीतर वार्षिक रूप से संदाय की जाएगी:

परंतु इस प्रकार विनिर्दिष्ट अविध के भीतर लेबल फीस का संदाय करने में असफल रहने पर विनियम 6 के उपविनियम (3) के खंड (ख) के अधीन ब्यूरो लेबल प्रतिभूति फीस से उस पर दस प्रतिशत ब्याज सहित संदत्त शोध्य रकम वसूल कर सकेगा।

- 10. लेबल प्रतिभूति फीस का प्रतिदाय—विनियम 9 के उपविनियम (2) के परंतुक के अध्यधीन, कक्ष वातानुकूलक का विनिर्माण न होने पर अनुज्ञा-पत्र धारी लेबल प्रतिभूति के संदाय का हकदार होगा ।
- 11. ब्यूरो द्वारा सत्यापन--(1) ब्यूरा, स्वप्रेरणा से या प्राप्त शिकायत पर यह सुनिश्चित करने के लिए सत्यापन करेगा कि कक्ष वातानुकूलक सितारा स्तर और लेबल पर प्रदर्शित अन्य विशिष्टियों के अनुरूप और अनुज्ञा के अन्य निबंधन और शर्तों का अनुपालन करता है।
- (2) जहां उपविनियम (1) के अधीन प्राप्त की गई शिकायत का ब्यूरो द्वारा सत्यापित किसी प्रयोगशाला में कक्ष वातानुकूलक का परीक्षण अपेक्षित है वहां ऐसे परीक्षण करने के लिए समनुदेशिती को सूचना जारी की जाएगी और शिकायतकर्ता से ब्यूरो के पास परीक्षण, परिवहन और अन्य आनुषंगिक व्यय से संबंधित, जो ब्यूरो द्वारा अग्रिम में अवधारित किए जाएं ऐसे व्यय जमा करने के लिए कहा जाएगा।
- (3) जहां परीक्षण के लिए प्रयोग किए जाने वाले कक्ष वातानुकूलक के नमूने परीक्षण में असफल हो जाते हैं, वहां ब्यूरो अनुज्ञा-पत्र धारी अपनी लागत पर कक्ष वातानुकूलक के प्रथम परीक्षण नमूनों की दुगनी मात्रा सहित दूसरा परीक्षण को संचालित करेगा।
- (4) जहां दूसरा परीक्षण भी असफल हो जाता है, वहां ब्यूरो यह निदेश देगा कि अनुज्ञा-पत्र धारी दो मास की अवधि के भीतर --
- (क) कक्ष वातानुकूलक के लेबल पर प्रदर्शित सितारा स्तर को शुद्ध करेगा या परीक्षण के दौरान पाई यह बुटियों और किभयों को दूर करेंगा ;
 - (ख) ब्यूरों के निदेशों का पालन करने के लिए बाजार से सभी स्टॉक को वापस लेगा ; और
 - (ग) विज्ञापन सामग्री पर प्रदर्शित विशिष्टियों में परिवर्तन करेगा ।
- (5) जहां अनुज्ञा-पन्न धारी उपविनियम (4) के अधीन ब्यूरो द्वारा जारी किए गए निदेशों का अनुपालन करने में असफल रहता है, वहां व्यूरों,-
 - (क) अन्ता गणस ने लेगा ;

- (ख) उपभोक्तओं को ऐसी रीति में अधिसूचित करेगा जो वह उपयुक्त समझे ;
- (ग) अधिनियम की धारा 27 के अधीन ऐसे अनुज्ञा-पत्र धारी के विरुद्ध न्यायनिर्णायक कार्रवाइयां आरंभ करेगा ।
- 12. अनुज्ञा का रहकरण-ब्यूरो, विनियम 7 के अधीन मंजूर की गई अनुज्ञा को वापस ले सकेगा यदि अनुज्ञा-पत्र धारी,--
- (क) विनियम 8 के अधीन विनिर्दिष्ट किन्ही निबंधनों और शर्तों का अनुपालन करने में असफल रहता है ;
- (ख) विनियम 9 के अधीन विनिर्दिष्ट अविध के भीतर लेबल फीस का संदाय करने में असफल रहता है।

अजय माधुर, महानिदेशक [विज्ञापन]]]/4/असा./185/2009]

The same that he same and the same to the Roll of the Novel 1

[विनियम 6 देखिए]

ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (कक्ष वातानुकूलक के लेबलों पर उनके संप्रदर्शन की विशिष्टियां और रीति) विनियम, 2009 के अधीन कक्ष वातानुकूलक पर लेबल लगाने की अनुज्ञा के लिए आवेदन ।

सेवा में,
महानिदेशक
फर्जा दक्षता ब्यूरो
(विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार)
चौथा तल, सेवा भवन
सेक्टर-1, आर.के.पुरम
नई दिल्ली-110066
भारत

मैं/हम जो कक्ष वातानुकूलक के विनिर्माणकर्ता हूं/हैं	में (कारोबार का
पूरा नाम)अभिनाम से (व्यष्टि या फर्म का पूरा नाम) क	गरोबार चला रहा
हूं/चला रहे हैं इसके ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (कक्ष वातानुकूलक के लेबलों पर उनके संप्रदर्शन की	विशिष्टियां और
रीति) विनियम, 2009 के अधीन उपाबंध में परिभाषित कक्ष वातानुकूलक के संबंध में ब्यूरो	द्वारा विहित लेबल
के उपयोग के लिए प्राधिकार के समनुदेशन के लिए आवेदन करता हूं/करते हैं।	
2. निर्माणकारी सुविधा : उपर्युक्त उपस्कर का	का नाम) द्वारा
और(कारखाने का नाम और पता) में विनिर्माण किया जाता है।	

3. जानकारी का ब्यौरा : उपस्कर, कंपनी, विनिर्माण सुविधा, परिक्षण के लिए प्रमाण पत्र उत्पाद लेबल रं
संबंधित जानकारी के ब्यौरे उपाबंध में दिए गए हैं । फर्मों या सोसाइटियों के रिजस्ट्रार/उद्योग निदेशक (लघ्
उद्योग की इकाइयों की दशा में) द्वारा जारी किए गए निगमन प्रमाणपत्र या फर्म के नाम तथा इसके
विनिर्माणकारी परिसरों को अधिप्रमाणित करने वाले उसी प्रकार के अन्य दस्तावेजों की एक फोटो प्रति संलग्न
की जाती है ।
क) आवेदक :
आवेदन को करने के लिए प्राधिकृत किया जाता है और वह इस आवेदन में दी गई जानकारी की सत्यता के
लिए उत्तरदायी होगा ।
ख) संपर्क व्यक्ति :को (नाम और पदनाम्) इस आवेदन और लेबल के
उपयोग के संबंध में ब्यूरो के साथ समन्वय करने के लिए संपर्क व्यक्ति प्राधिकृत किया जाता है।
ग) मैं/हम ऊपर (क) या (ख) में परिभाषित प्राधिकृत व्यक्तियों में किसी परिवर्तन को जैसे ही यह होता है,
ब्यूरो को संसूचित करने का वचन देता हूं/देते हैं।
4. क्वालिटी मानकों से अनुरुपता : मैं/हम(उपस्कर का नाम)
के लिए
भा.मा./अन्य (मानक का नाम और संख्या)
प्रणाली/अन्य मानकों (मानक का नाम ओर संख्यां) के संबंध में भारतीय मानक/अन्य अंतराष्ट्रीय मानक ब्यूरो
की पुष्टि करता हूं/हैं । उपर्युक्त उपस्कर के संबंध में अनुज्ञप्ति/प्रमाणपत्र की एक प्रति संलग्न की जाती है ।
मेरे /हमारे पास उपस्कर की क्वालिटी में सघनता सुनिश्चित करने के लिए स्थित प्रयोगशाला के ब्यौरे :

क) परीक्षण ब्यौरे : (परीक्षण प्रक्रियाएं/नाम/संख्या)

ख) प्रत्ययन प्रास्थिति :

ग) ऊर्जा दक्षता ब्यूरो का अनुमोदन :

वर्ष

5. उक्त उपस्कर का उत्पादन और विक्रय के आंकड़े तथा उनका मूल्य मेरे/हमारे ज्ञान के अनुसार तथा प्राक्कलन निम्न प्रकार से हैं :

वर्ष	उत्पादन	विक्रय	उपस्कर का अधिकंतम
			फुटकर मृत्य (रुपए)
पिछले वर्ष			
सेतक			
चालू वर्ष			Tall the Late of
सेतक			
(प्राक्कलन)			
			value de la fermio
可以是对原则关系通过的发展。		/इलेक्ट्रानिक	
रुपए की आवेदन प	ीस संदत्त की गई हैं।	epo atella la	
(ख) डੀडੀ सं0	तारीख	/इलेक्ट्रानिव	क ढंग द्वारा एक लाख
रुपएकी व			
(ग) मैं/हम प्रति लेबल तीस	रुपए लेबल फीस का र	संदाय करने के लिए सहमत हूं	/ἒ I
7.मैं/हम ब्यूरो द्वारा विनिर्दिष्ट	सभी निबंधन और शत	ों का अनुपालन करता हूं/करते	ते हैं ओर ब्यूरो द्वारा की जाने
वाली किसी जांच के लिए र	ाभी युक्तियुक्त सुविघाः	भौं का विस्तार करने के लिए	सहमत हूं/हैं ।
8. मैं/हम सत्यापन तथा चुन	ति परीक्षण के लिए नग	मूने के चयन के लिए ऊर्जा दक्ष	ता ब्यूरो को प्राधिकृत करता
हूं/करते हैं और इस बावत ब	यूरो के निदेशों का पाल	न करने कें लिए सहमत हूं/हैं	I
9. मैं/हम वचनबंध करता हूं,	करते हैं कि मेरे सर्वोत्त	तम ज्ञान में आवेदन में दी गई	जानकारी सही है और अगर
दी गई जानकारी गलत पाई	जाती है तो आवेदन अ	रवीकृत किया जाए ।	
तारीख		इस्ताक्षर	(वर्ष)
		नाम	•••••
		पदनाम	
			(फर्म का नाम)
			10 1 0 1

के लिए और उसकी ओर से फर्म की मुद्रा

उपाबंध [प्ररूप 1 का पैरा 3 देखिए] जानकारी के ब्यौरे

1. उपस्कर के ब्यौरे

विनिर्माणकर्ता का नाम और ब्रांड	
कक्ष वातानुकूलक का प्रकार : एकिक/स्पिल्ट	
शीतलन क्षमता (वाट)	
कक्ष वातानुकूलक में विद्युत इनपुट (वाट)	
विनिर्माण का वर्ष	
कंपनी रजिस्ट्रीकरण संख्या	
भारतीय मानक संस्थान के प्रमाणपत्र का ब्यौरा	
(प्रमाणपत्र की प्रति संलग्न करें)	
क्वालिटी प्रणाली प्रमाणपत्र के ब्यौरा	
(प्रमाणपत्र की प्रति संलग्न करें)	

क्रम सं0	मॉडल का नाम और संख्या		मापा ग	या मूल्य			1 2	ड मृत्य		टिप्पणियां
		शीतलन क्षमता	विद्युत इनपुट	ईईआर	मापा गया सितारा स्तर या ऊर्जा दक्षता स्तर	शीतलन क्षमता	विद्युत इनपुट	ईईआर	सितार स्तर या ऊर्जा दक्षता स्तर घोषित की गई सितारा रेटिंग	

2. कंपनी के ब्यौरे

कंपनी का नाम :	
पता	
पिनकोड	
राज्य	
फोन नं0	
फैक्स नं0	
ई-मेल	
वेब साइट	

3.6	निम	णि	सुविधा	के	ब्यौरे
•••			3		

पता	
पिनकोड	
राज्य फोन नं0 फैक्स नं0	BETWEEN CHARLES THE CONTROL OF THE PROPERTY OF THE PARTY
फोन नं0	
फैक्स नं0	
ई-मेल	
वेब साइट	
ई-मेल वेब साइट कोई अन्य ब्यौरे	

4. परीक्षण के ब्यौरों के लिए प्रमाणन

परीक्षण मानक का नाम, संख्या और	
वर्ष	
परीक्षण प्रयोगशाला का नाम	
प्रत्यायन प्रस्थिति	
(प्रत्यायन प्रमाण पत्र की प्रति संलग्न	
करें)	
पता	
पिन कोड	
राज्य	以外,以外,其他,以为其他,他是是这种,但是是是 对于
फोन नं0	
फैक्स नं0	
ई-मेल	可以可以 完全的特别。但是他们是特别的特别的最后的特别的
वेब साइट	

5. उत्पाद के ब्यौरे

प्रारंभ की तारीख		
बीईई के लिए आवेदन किए गए लेबलों की संख्या प्रथम वर्ष के लिए-		
दूसरे वर्ष के लिए- तीसरे वर्ष के लिए		
उत्पाद क्रम सं0	 से	तक
परीक्षणं रिपोर्ट		
नमूना रिपोर्ट		
", 1 11		

6. लेबल के ब्यौरे

ऊर्जा	दक्षता अनुपात				
कक्ष	वातानुकूलक	का	प्रकार	:	

एकि क/स्पि ल्ट मॉडल/वर्ष		
मॉडल/वर्ष		
व्यापार चिन्ह/ब्रांड नाम		No. 17
शीतलन क्षमता (वाट)		
विद्युत खपत (वाट)		
गति संपीड़क अंतर हां/नहीं		
उष्मा पंप हां/नहीं		September 1

7. संदाय के ब्यौरे यदि अग्रिम में संदाय करना प्रस्तावित है (वैकल्पिक)

लेबलों की संख्या	प्रति इकाई लेबल लगाने की फीस	कुल रकम/संदाय के ब्यौरे
		रकम : क्रॉस किए गए बैंक ड्राफ्ट के ब्यौरे तारीख :

तारीख

हस्ताक्षर
नाम
पदनाम
के लिए और उसकी ओर से
(फर्म का नाम)
फर्म की मुद्रा

नई दिल्ली, तारीख

सेवा में	

- 1. ऊर्जा दक्ष्या ब्यूरों (कक्ष वातानुकूलक के लेबलों पर उनके संप्रदर्शन की विशिष्टियां और रीति) विनियम, 2009 के विनियम 7 के उपबंधों के अनुसरण में, ब्यूरों इस उपाबद्ध में दिए गए अनुमोदन के ब्यौरों के अनुसार लेबल लगाने के लिए अनुज्ञात करता है।
- 2. यह अनुज्ञा निम्नलिखित के अध्यधीन है--
- (क) कक्ष वातानुकूलक कें लिए के लेबल पर दर्शित सितारा स्तर अधिनियम की धारा 14 के खंड (क) के अधीन अधिसूचित कक्ष वातानुकूलक कें लिए ऊर्जा खपत मानक के रूप होगा ;
- (ख) कक्ष वातानुकूलक के केवल ऐसे मॉडलों पर लेबल लगाया जाएगा जिसमें लिए अनुज्ञा की मंजूरी की गई है;
- (ग) अनुज्ञा-पत्र धारी की लागत पर कक्ष वातानुकूलक पर लेबल की मुद्रित किया जाएगा और लगाया जाएगा ।
- (घ) अनुज्ञा-पत्र धारी यह सुनिश्चित करेगा कि कक्ष वातानुकूलक के लेबल पर सितार स्तर को हर समय अनुरक्षित किया जाएगा ;
- (ड) अनुज्ञा-पत्र धारी प्रति लेबल तीस रुपये की लेबल फीस का संदाय करेगा ;
- (च) अनुज्ञा-पत्र धारी, वित्तीय वर्ष की प्रत्येक तिमाही के अंत के आगामी मास के भीतर प्रत्येक तिमाही के लिए लेबलीकृत उपस्कर के उत्पादन के ब्यौरे और उद्भूत देय लेबल फीस का विवरण ब्यूरों को प्रस्तुत करेगा और वही ब्यौरे ब्यूरों को स्वाचालित प्रणाली से भी प्रस्तुत किए जाएंगे ;
- (छ) अनुज्ञा-पत्र धारी कक्ष वातानुकूलक के ऐसे अन्य ब्यौरे उपलब्ध कराएगा जैसा जब ब्यूरो चाहे, जिसके लिए अनुज्ञा को मंजूरी दी गई हैं ।
- 3. यह अनुज्ञा..........से.......तक विधिमान्य होगी और इसे और यथाविहित रूप में नवीकृत किया जा सकेगा । आप ब्यूरो के पूर्व अनुमोदन के सिवाय अनुज्ञा की विधिमान्य अविध के दौरान बाजार से कक्ष वातानुकूलक को वापस नहीं लेंगे ।
- 5. जहां पुनर्विलोकन पर सितारा स्तर योजना को ब्यूरो द्वारा संशोधित किया जाता है और कक्ष वातानुकृतक का सितारा स्तर संशोधित हो जाता है, वहां आवेदक नयी अनुज्ञा प्राप्त करेगा ।
- तारीख को हस्ताक्षरित किया गया और मुहर बंद किया गया ।

(सचिव) ऊर्जा दक्षता दारो

उपाबंध (प्ररुप 2 का पैरा 1 देखिए) अनुमोदन के ब्यौरे

1. उपस्कर के ब्यौरे

व्यापार चिन्ह/ ब्रांड नाम		
कक्ष वातानुकूलक का प्रकार : एकिक/स्पिल्ट		
शीतलन क्षमता (वाट)		
कक्ष वातानुकूलक में विद्युत इनपुट (वाट)	or chiade	
विनिर्माण का वर्ष		

क्रम सं0	मॉडल का नाम और संख्या	मापा गया मूल्य टिप्पणियां				टिप्पणियां				
		शीतलन क्षमता	विद्युत इनपुट	ईईआर	मापा गया सितारा स्तर या ऊर्जा दक्षता स्तर	शीतलन क्षमता	विद्युत इनपुट	ईईआर	सितार स्तर या ऊर्जा दक्षता स्तर् घोषित की गई सितारा रेटिंग	
									*	

2. लेबल के ब्यौरे

1 1 4-M 720 0412 411 10

3. कक्ष वातानुकूलक पर लगाए जाने वाले मुद्रित लेबल का अनुमोदित नमूना ।



ENERGY EFFICIENCY 2.90 EER (W/W)

Appliance/Type	:	XX/Split
Brand	:	YYYY
Model/Year	:	ABC/2007
Cooling Capacity (W)	:	XX
Power Consumption (W)	:	XX
Variable Speed Compressor	:	Yes/No
Heat Pump	:	Yes/No



*Under test conditions, when tested in accordance with XXX.

Actual electricity consumption will depend on how the appliance being used

पत्र में यूनिक लेबल श्रंखला कोड दिया गया है जिसे कक्ष वातानुकूलक की आउटर कास्टिंग पर लगाए गए लेबल पर उल्लिखित किया जाता है।

4. लेबल डिजाइन, आकार, रंग स्कीम और लेबल की अंर्तवस्तु तथा ब्यूरो लोगों की रंग स्कीम को ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (कक्ष वातानुकूलक के लेबलों पर उनके संप्रदर्शन की विशिष्टियां और रीति) विनियम, 2009 की अनुसूची के यथा विनिर्दिष्ट होगी।

तारीख

हस्ताक्षर
नाम
पदनाम
के लिए और उसकी ओर से
(फर्म का नाम)
फर्म की मुद्रा

प्ररुप 3

[विनियम ७(२) देखिए] अनुना-पुत्र धारियों का रुजिस्टर

क्रम	आवेदन	पत्र	अनुज्ञा-पत्र धारी	उपस्कर के	घोषित	बीईई अनुज्ञा	वह अवधि
सं०	संख्यां	और	का नाम और ब्यौरे	ब्यौरे जिसके	सितारा स्तर	संख्या और	जिसके लिए
	अनुज्ञा-पत्र	की	(संपर्क व्यक्ति,	लिए अनुज्ञा	या दक्षता	यूनिक लेबल	अनुज्ञा मंजूर
	तारीख		पता पिन कोड			श्रंखला	की गई है
			राज्य, फोन नं0 फैक्स नं0, ई- मेल, वेबसाईट)	है।			
1	2	201	3	4	5	6	7

लेबल प्रतिभूति की सभी रकम	क्रास डिमांड ड्राफ्ट (ब्यौरे) इलेक्ट्रानिक संव्यवहार (ब्यौरे) द्वारा प्राप्त लेबल प्रतिभूति फीस : तारीख :	आवेदन फीस, प्राप्त रकम का ब्यौरा (क्रास डिमांड ड्राफ्ट ब्यौरा/इलेक्ट्रानिक संव्यवहार ब्यौरे : तारीख :
8	9	10

प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अंत में लगाए गए लेबल की भंख्या	देय लेबल फीस की रकम	लेबल फीस, प्राप्त रकम का ब्यौरा (क्रास डिमांड ड्राफ्ट ब्यौरे/इलेक्ट्रानिक संव्यवहार ब्यौरा) ; तारीख :)	
11 .	12	13	14

BUREAU OF ENERGY EFFICIENCY NOTIFICATION

New Delhi, the 5th January, 2010

No. 2/11(5)/03-BEE-2.—Whereas the draft of the Bureau of Energy Efficiency (Particulars and Manner of their Display on Labels of Room Air Conditioners) Amendment Regulations 2009, was published vide number 2/11(5)/03-BEE-2, dated the 5th November,2009 in Part III, Section 4, of the Gazette of India, Extraordinary, dated the 9th November 2009, as required under sub-section (1) of Section 58 of the Energy Conservation Act, 2001 (52 of 2001), inviting objections or suggestions from all persons likely to be affected thereby within forty-five days from the date of publication in the official gazette;

And whereas Gazette copies of the said draft regulations were published in the aforesaid Gazette on the 9th November, 2009;

And whereas no objection or suggestion has been received from the public with respect to the said draft regulations within the specified period aforesaid;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by clause (d) of section 14 read with clause (i) of sub-section (2) of section 58 of the said Energy Conservation Act, the Bureau of Energy Efficiency with the previous approval of the Central Government, hereby makes the following regulations, namely:-

- Short title and commencement. (1) These regulations may be called the Bureau of Energy Efficiency (Particulars and Manner of their Display on Labels of Room Air Conditioners) Amendment Regulations, 2010.
- (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
- 2. In the Bureau of Energy Efficiency (Particulars and Manner of their Display on Labels of Room Air Conditioners) Regulations, 2009 (hereinafter referred to as the principal regulations), in regulation 2, in sub-regulation (1),-
 - (a) after clause (a), the following clause shall be inserted, namely:-
 - "(aa)" Form" means a form appended to these regulations;";
 - (b) after clause (c), the following clause shall be inserted, namely:-
 - "(ca) permittee" "means a person to whom permission has been granted under regulation 7;";

- 3. In the principal regulations, after regulation 5, the following regulations shall be inserted, namely:-
- "6. Permission for display of label.- (1) No label shall be affixed on a room air conditioner without obtaining the permission of the Bureau.
- (2) For the purpose of obtaining permission of the Bureau under subregulation (1), an application shall be made in Form-I or in electronic form;

Provided that separate application shall be made for each model of room air conditioner.

- (3) Every application under sub-regulation (2) shall be accompanied by -
- an application fee of rupees one thousand payable by demand draft drawn in favour of the Bureau of Energy Efficiency, New Delhi or by any electronic mode of payment;
- (b) a label Security Fee of rupees one lakh payable by demand draft drawn in favour of the Bureau of Energy Efficiency, New Delhi or by any electronic mode of payment;
- (c) documents specified therein.
- 7. Grant of permission.-(1) On receipt of an application under regulation 6 and after being satisfied that all requirements therein are complied with, the Bureau may, within a period of one month from the date of such receipt, grant, subject to such terms and conditions as are specified in regulation 8, permission for affixing label on room air conditioner in Form-II or in electronic form;
- . (2) The Bureau shall maintain a register in Form-III and enter the name of permittee therein.
- (3) The permission so granted under sub-regulation (1) shall be valid for a period of three years and may be renewed for a further period of three years by the Bureau.
- (4) An application for renewal of permission shall be made at least three months before its expiry and shall be accompanied by a fee of rupees five hundred payable by demand draft drawn in favour of the Bureau of Energy Efficiency, New Delhi or by any electronic mode of payment.
- (5) On receipt of application for renewal under sub-regulation (4) and after being satisfied that all requirements are complied with, the Bureau may, within a period of one month from the date of such receipt, renew permission as in Form II.
- 8. Terms and conditions for display of particulars on label. Every permittee shall comply with the following terms and conditions, namely:-

Whitehopen the

- (a) The star level displayed on the label of the room air conditioner shall conform to energy consumption standards for room air conditioner notified under clause (a) of section 14 of the Act;
- the label shall be affixed only on such model of room air conditioner for which permission has been granted;
- (c) the label shall be printed and affixed on the room air conditioner at the cost of the permittee;
- (d) the permittee shall ensure that the star level displayed on the label of room air conditioner shall be maintained at all time;
- (e) the permittee shall pay the label fee as specified in regulation 9;
- (f) the permittee shall furnish to the Bureau a statement containing details of production of labelled equipment and the accrued labelling fee due for each quarter within the following month of the close of each quarter of the financial year;
- (g) the permittee shall comply with such other terms and conditions which the Bureau may specify.
- 9. Label Fee. (1) Every permittee shall pay to the Bureau a label fee of rupees thirty on each label so affixed on the room air conditioner.
- (2) The label fee specified under sub-regulation (1) shall be paid annually within one month from the date of closure of each financial year:

Provided that on failure to pay the label fee within the period so specified, the Bureau may recover the amount due with interest thereon at ten per cent. from the Label Security Fee paid under clause (b) of sub-regulation (3) of regulation 6.

- 10. Refund of Label Security Fee.- Subject to the proviso to sub-regulation (2) of regulation 9, a permittee shall be entitled to a refund of the Label Security Fee on ceasing to manufacture room air conditioner.
- 11. Verification by the Bureau (1) The Bureau may, either suo motu, or on the complaint received by it, carry out verification to ensure that the room air conditioner conforms to the star level and other particulars displayed on its label and that it complies with the other terms and conditions of permission.
- (2) Where upon a complaint received under sub-regulation (1), the Bureau is required to carry out verification, by testing the room air conditioner in a laboratory, a notice shall be issued to the permittee for carrying out such testing and the complainant shall be called upon to deposit such expenses relating to testing, transportation and other incidental expenses with the Bureau, within such time, as may be determined by it.
- (3) Where samples of room air conditioner used for testing fails the test, the permittee shall be afforded another opportunity and the Bureau shall conduct a

34 5010 3

second test with twice the quantity of room air conditioners used in the first test, at the cost of the permittee;

- (4) Where the second test also fails, the Bureau shall direct that the permittee shall, within a period of two months,-
 - (a) correct the star level displayed on the label of the room air conditioners or remove the defects and deficiencies found during testing;
 - (b) withdraw all the stocks from the market to comply with the directions of the Bureau; and
 - (c) change the particulars displayed on advertising material.
- (5) Where the permittee fails to comply with the directions issued by the Bureau under sub-regulation (4), the Bureau shall
 - (a) withdraw the permission;
 - (b) notify the consumers in such manner as it deems fit;
 - (c) initiate adjudication proceedings against such permittee under section 27 of the Act.
- 12. Cancellation of Permission The Bureau may cancel the permission granted under regulation 7. If the permittee -
 - fails to comply with any of the terms and conditions specified under regulation 8;

林州能到11年

(b) fails to pay label fee within the period specified under regulation 9.

AJAY MATHUR, Director-General [ADVT III 4 Enty 185 20 ref

FORM I [See regulation 6]

Application for permission to affix label on Room Air Conditioners under the Bureau of Energy Efficiency (Particulars and Manner of their display on Label of Room Air Conditioners) Regulations, 2009

To,
THE DIRECTOR GENERAL
BUREAU OF ENERGY EFFICIENCY
(MINISTRY OF POWER, GOVT. OF INDIA)
4TH FLOOR, SEWA BHAWAN,
SECTOR – 1, R.K.PURAM
NEW DELHI-110 066
INDIA.

THE CHARGE THE PROPERTY BY VEHICLE AND A CHARGE WHELE THE

The state of the s	(full business address) under the style of
permission to affix label on room	_ (full name of individual or firm) hereby apply for air conditioners as specified by the Bureau in the culars and Manner of their display on the label of is, 2009.
	above equipment is manufactured or imported by any) and is manufactured at (Name
equipment, company, manufactur and payment is given in Annexur issued by the Registrar of Firms o	ne details of the information in respect of the ring facility, certification for test, products, labels re. A photocopy of the certificate of incorporation or Societies/Director of Industries (in case of Small liments authenticating the name of the firm and its ed.
	(Name and Designation) is authorised of the company/firm/etc, and will be responsible oplied with this application.
b) Contact Person: authorized contact person for c application and the use of the Labe	(Name and Designation) is the coordination with the Bureau in respect of this el.
c) I/We undertake to intimate persons defined in (a) or (b) above	e to the Bureau of any change in the authorized as soon as it takes place.
Standard/other international stand in accordance with IS/Others (name	standards: I/We conform to the Buteau of Indian lards in respect of Quality System/Other standards me and number of the standard) as(title of the Notification) for

of the above equipment is en		py of the Lice	nse/certificate in respect
I/We have testing arrangeme for ensuring consistency in qu			ddress of the laboratory)
Lab details: a) Tests details: (Test prob) Accreditation status: c) Bureau of Energy Efficient		umber)	
5. Production and sales the best of my/our knowledge			and the value thereof to
Year	Production	Sales	MRP of the equipment (Rs.)
Last year fromto			
Current year fromto		ing of the state o	H 2 MA A A L D A CONTROL ON THE CONTROL OF THE CONT
(estimate)			
(c) I/We agree to pay the la Bureau. 7. I/We agree to abide to and extend necessary assist to be made by it.	abelling fee of ru	upees thirty po	specified by the Bureau
8 I/we authorise the Buverification and challenge term in this regard.			
9. I/We undertake that the best of my knowledge, an incorrect; the application may	nd should any of	the information	application is accurate to a supplied be found to be
Dated this	Sig Nar Des	signation	
		ime of the firm AL OF FIRM)

Annexure [See Para 3 of Form 1]

Details of information

1. Deta	ils o	f the	Equ	pment
---------	-------	-------	-----	-------

Trade Mark (s)/Brand Name(s)	
Type of Room Air Conditioner: Unitary/Split	
Cooling Capacity (Watts)	
Power Input of Room Air Conditioner (Watts)	
Year of manufacturing	
Company's Registration No	
ISI certificate details (Attach copy of the Certificate)	
Quality System certificate details (Attach copy of the Certificate)	

SI. No.	lo. Name // No. Measured Values		es	Rated Values				Remarks		
		Cooling Capacity	Power Input	EER	Star Level or Energy Efficiency Level Measured	Cooling Capacity	Power Input	EER	Star Level or Energy Efficiency Level Declared Star Rating	
			134				Classia.			
	100000			al com						

2. Details of the Company

Z. Details of the company	•				
Name of the Company:					
Address					
Pin Code	TELEVINIE		Mary 18 Land		
State					
Phone No.		1 S - 5			
Fax No.					
E-Mail					
Web site		o las			

Address		
Pin Code		
State		
Phone No.		
Fax No.	·	
E-Mail		
Web site		
Any other details		
Name of the Test standard, No. and		
Year		
Name of the test Laboratory		
Accreditation status	La rational	100,000
(Attach copy of the accreditation		andres 4
certificate) Address		
Pin Code State		
Address Pin Code		
Pin Code State Phone No. Fax No.		
Pin Code State Phone No. Fax No. E-Mail		
Pin Code State Phone No. Fax No.		
Pin Code State Phone No. Fax No. E-Mail Web site		
Pin Code State Phone No. Fax No. E-Mail Web site	**	
Pin Code State Phone No. Fax No. E-Mail Web site 5. Product Details Date of commencement		
Pin Code State Phone No. Fax No. E-Mail Web site 5. Product Details Date of commencement Number of labels applied for BEE		
Pin Code State Phone No. Fax No. E-Mail Web site 5. Product Details Date of commencement Number of labels applied for BEE for the first year -		
Pin Code State Phone No. Fax No. E-Mail Web site 5. Product Details Date of commencement Number of labels applied for BEE for the first year - for the second year -	**	
Pin Code State Phone No. Fax No. E-Mail Web site 5. Product Details Date of commencement Number of labels applied for BEE for the first year - for the second year - for the third year -		To
Pin Code State Phone No. Fax No. E-Mail Web site 5. Product Details Date of commencement Number of labels applied for BEE for the first year - for the second year -	From	To
Pin Code State Phone No. Fax No. E-Mail Web site 5. Product Details Date of commencement Number of labels applied for BEE for the first year - for the second year - for the third year -		То

6.	Label Details	

Energy Efficiency Ratio	
Type of Room Air Conditioner: Unitary/Split	
Model / Year	
Trade Mark (s)/Brand Name(s)	
Cooling Capacity (Watts)	
Power consumption(Watts)	
Variable Speed Compressor Yes/No	
Heat Pump Yes/No	

7. Payment details, if Proposed to pay in advance (Optional).

No. of Labels	Labeling fee per unit	Total Amount /Details of Paymen	
		Amount:	
		Crossed bank draft Details:	
		Date:	

Date	Signature
	Name
	Designation
	For and on behalf of
	(Name of the firm) SEAL OF FIRM

FORM II
[See Regulation 7]
Permission / Renewal of Permission
No.
Bureau of Energy Efficiency
New Delhi, Dated

- 1. Pursuant to the provisions of regulation 7 of the Bureau of Energy Efficiency (Particulars and Manner of their display on Labels of room air conditioner) Regulations, 2009, the BUREAU hereby permits you to affix Label as per details of approvals set out in the Annexure.
- 2. This permission is subject to-
 - (a) the star level displayed on the label of the room air conditioner shall conform to energy consumption standards for room air conditioner notified under clause (a) of section 14 of the Act;
 - (b) the label shall be affixed only on such model of room air conditioner for which permission has been granted;
 - (c) the label shall be printed and affixed on the room air conditioner at the cost of the permittee;
 - (d) the permittee shall ensure that the star level displayed on the label of room air conditioner shall be maintained at all time;
 - (e) the permittee shall pay the label fee of rupees thirty per label;
 - (f) the permittee shall furnish to the Bureau a statement containing details of production of labelled equipment and the accrued labelling fee due for each quarter within the following month of the close of each quarter of the financial year. The same details shall be furnished to the Bureau also through automated system.
 - (g) the permittee shall make available such other details of room air conditioner as and when sought by the Bureau for which the permission has been granted.
- 4. The unique label series code for the equipment is, and should appear on the label as per the approved design.
- 5. Where the star level plan on review is modified by the Bureau and the star level of the room air conditioner stand modified, you shall seek the permission afresh.
- 6 Signed, Sealed and Dated this Day of month.....year.

(Secretary)
BUREAU OF ENERGY EFFICIENCY

Annexure [See para 1 of Form II]

Details of Approvals

1.	Det	tails o	of th	e Eq	ulpmen	t


Trade Mark (s)/Brand Name(s)			
Type of Room Air Conditioner: Unit	ary/Split		
Cooling Capacity (Watts)	Turde of the		
Power Input of Room Air Conditione	r		
Year of manufacturing			

SI. No.	Model Name / No.	Measured Values			Rated Values				Remarks	
		Cooling Capacity	Power Input	EER	Star Level or Energy Efficiency Level Measured	Cooling Capacity	Power Input	EER	Star Level or Energy Efficiency Level Declared Star Rating	
						187 8-21				

2. Label Details

Star Rating / Star level	
Energy Efficiency Ratio	A LONG PROPERTY DESCRIPTION OF THE PARTY.
Type of Room Air Conditioner: Unitary/Split	
Model / Year	以自己的人的行动,这些人对话,这是不
Trade Mark (s)/Brand Name(s)	
Cooling Capacity (Watts)	
Power consumption(Watts)	
Variable Speed Compressor Yes/No	
Heat Pump Yes/No	
Unique label series code	

3. Approved Specimen of printed label to be affixed on the room air conditioner.



The unique label series code provided in the letter has to be mentioned in the label affixed on the room air conditioner.

4. The label design, size, colour scheme, material to be used for the label and the content of the label and colour scheme of the Bureaus' logo shall be as specified in the schedule to the Bureau of Energy Efficiency (Particulars and Manner of their Display on Labels of Room Air Conditioners) Regulations, 2009.

Date	Signature Name
	Designation
	(Name of the firm) SEAL OF FIRM

Form III [See Regulation 7 (2)]

Register of Permittees

SI.No.	Application No. and Date of Permission	Name and details of the permittee (Contact Person, Address .Pin Code, State, Phone No. ,Fax No., E-Mail, Web site)	Details of equipment for which the permission has been granted	Star level or Efficiency level declared	BEE permission number and unique label series.	Period for which the permission has been granted
1	2	3	4	5	6	7

Amount of label security fee	Label Security Fee Received by(Crossed Demand draft (Details)/ Electronic transaction (Details): Date:)	Application Fees details of Amount Received (Crossed Demand draft Details/ Electronic transaction Detail's; Date;)	
8	.9 .	10	

Number of labels affixed at the end of the each financial year	Amount of labelling fee due	Labelling fees details of Amount Received (Crossed Demand draft Details/ Electronic transaction Detail's: Date:)	Remarks
11	12	13	14

रजिस्टी सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99



orandicor

EXTRAORDINARY

भाग ।।।—खण्ड 4

PART III-Section 4

्रप्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

ਸਂ. 130] No. 130] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, मई 9, 2013/वैशाख 19, 1935

NEW DELHI, THURSDAY, MAY 9, 2013/VAISAKHA 19, 1935

ऊर्जा दक्षता ब्यूरो

अधिसूचना

नई दिल्ली, 8 मई, 2013

सं. 2/11(5)/03-बीईई-2.-ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (कक्ष वातानुकूलकों के लेबलों पर उनके संप्रदर्शन की विशिष्टियां और रीति) संशोधन विनियम, 2012 का प्रारूप तारीख 9 अक्तूबर, 2012 को भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग iii, खंड 4 में संख्या 2/11(5)/03-बीईई -4 तारीख 8 अक्तूबर, 2012 द्वारा प्रकाशित किए गए थे, ऊर्जा संरक्षण अधिनियम 2001 (2001 का 52) की धारा 58 की उप-धारा (1) की अपेक्षानुसार ऐसे सभी व्यक्तियों के जिनके इससे प्रभावित होने की संभावना है, राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से 30 दिन के भीतर आपत्तियां अथवा सुझाव आमंत्रित किए गए हैं।

और, उक्त प्रारूप विनियमों की राजपत्र की प्रतियां 9 अक्तूबर, 2012 को उपर्युक्त राजपत्र में प्रकाशित की गई थी;

और, उपर्युक्त विनिर्दिष्ट अविध के भीतर उक्त प्रारूप विनियमों के संबंध में जनसाधारण से कतिपय आपत्तियां या सुझाव प्राप्त हए;

और प्राप्त आक्षेपों पर विचार कर लिया गया:

अतः अब, केन्द्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन से ऊर्जा संरक्षण अधिनियम, 2001 (2001 का 52) की धारा 58 की उप—धारा (2) के खंड (झ) के साथ पठित धारा 14 के खंड (घ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, ऊर्जा दक्षता ब्यूरो निम्नलिखित विनियम बनाती है, अर्थात:—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ—(1) इन विनियमों का संक्षिप्त नाम ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (कक्ष वातानुकूलकों के लेबलों पर उनके संप्रदर्शन की विशिष्टियां और रीति) संशोधन विनियम, 2013 है।

(2) ये राजपत्र में उनके अंतिम प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (कक्ष वातानुकूलकों के लेबलों पर उनके संप्रदर्शन की विशिष्टियां और रीति) विनियम, 2009 (जिसे इसमें इसके पश्चात् मूल नियम कहा गया है) के विनियम 2 के उपविनियम (1) में,—

(i) खंड (ख) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :'(खक) ''लेबल अवधि'' से धारा 14 के खंड (क) के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट ऊर्जा उपभोग मानक के अधीन ऊर्जा दक्षता अनुपात की विधिमान्यता अवधि अभिप्रेत है और यदि ऊर्जा दक्षता अनुपात की अन्तिम अवधि विनिर्दिष्ट है, तो केन्द्रीय सरकार द्वारा एक नया ऊर्जा दक्षता अनुपात विनिर्दिष्ट होने तक इसे विधिमान्य समझा जाएगा;';

AMERICAN

(ii) खंड (ड.)के स्थान पर, निम्नलिखित खंड रखे जाएंगे अर्थात:-

'(ड.) ''स्टार रेटिंग या स्टार स्तर'' से कक्ष वातानुकूलक की ऊर्जा दक्षता को बताने के लिए धारा 14 के खंड (क) के अधीन अधिसूचित ऊर्जा उपभोगमानक के आधार पर कक्ष वातानुकूलक के लेबल पर संप्रदर्शित ऊर्जा दक्षता का ग्रेड अभिप्रेत है;

'(च) "व्यापारी या विकेता" से किसी लेबलयुक्त कक्ष वातानुकूलक के संबंध में, वह व्यक्ति जो ऐसे कक्ष वातानुकूलक को बेचता है या वितरित करता है और इसमें विनिर्माता, व्यापारी और अनुज्ञापत्रधारी, जिसे ऐसे कक्ष वातानुकूलकों पर लेबल लगाने की अनुज्ञा दी गई है, अभिप्रेत है।'।

मूल विनियम में, विनियम 3 के, उप विनियम (1) में,-

(i) खंड (ट), के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:— "(ठ) लेबल अवधि।"

(ii) उप-विनियम (1) के पश्चात, निम्नलिखित उप-विनियम अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"(1 क) उप-विनियम (1) के खंड (1) में विनिर्दिष्ट विशिष्टि 31 दिसम्बर, 2013 के पश्चात् एकिक कक्ष वातानुकूलक पर

4. मूल विनियम में, विनियम 4 के विद्यमान विनियम 4 को उप विनियम (1) के रूप में पुनः संख्यांकित किया जाएगा और इस प्रकार पुनः संख्यांकित उप—विनियम (1) के पश्चात् जैसा कि पुनः संख्यांकित किया गया है, निम्नलिखित उप—विनियम अंतःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात्

"(2) अधिनियम की धारा 14 के खंड (क) के अधीन पुनरीक्षित ऊर्जा उपभोग मानक के प्रारंभ को और प्रारंभ से प्रत्येक

अनुज्ञापत्रधारी यह सुनिश्चित करेगा कि -

(क) बाजार में उपलब्ध स्टार स्तर संप्रदर्शित करने वाले लेबल सहित कक्ष वातानुकूलकों के स्टाक को प्रारंभ की तारीख से पहले बाजार से पूर्ण रूप से निष्कासित किया गया या पुनः लेबलयुक्त किया गया या वापस किया जाएगा:

(ख) बिकी के लिए रखे गये कक्ष वातानुकूलक पर भी लेबल अवधि संप्रदर्शित करनी होगी, बशर्ते कि अनुज्ञापत्रधारी को ऐसे प्रारंभ से तीन मास पूर्व बाजार में कक्ष वातानुकूलक लाने की स्वतंत्रता होगी।

(ग) सभी प्रारंभिक उपायों, जिनमें डीलर, खुदरा व्यापारी की जागरूकता, उनके और उपभोक्ताओं के शिक्षण के लिए अपेक्षित प्रचार शामिल हैं, को सुनियोजित करना चाहिए और इस विनियम के अधीन प्रारंभ की उस तारीख से छह मास पहले करना चाहिए।

(3) जहां अनुज्ञापत्रधारी, उसके नियंत्रण से परे बाजार परिस्थितियों के कारण, उप-विनियम (2) के खंड (क) में विनिर्दिष्ट उपबंधों का अनुपालन सुनिश्चित करने में असफल होता है और यह मानने के लिए उपभोक्ता के पास पर्याप्त आधार है कि उप विनियम (2) के खंड (क) और खंड (ख) में निर्दिष्ट कक्ष वातानुकूलकों के बीच ऊर्जा दक्षता के आधार पर उपभोक्ता सुविचारित चयन करने में कठिनाई अनुभव करता है, तो अनुज्ञापत्रधारी ब्यूरो की पूर्व अनुमोदन के साथ, उप-विनियम (2) के खंड (क) और खंड (ख) में निर्दिष्ट कक्ष वातानुकूलक के बीच अन्तर करने के लिए अनुसूची में दर्शाए गए अभिकल्पन के अनुसार हरे रंग के लेबल पर विनियम 3 के उप-विनियम (1) के खंड (ट) में निर्दिष्ट ऊर्जा दक्षता अनुपात को संप्रदर्शित करेगा।"

5. मूल विनियम के विनियम ७ में,

(i) उप–विनियम (3) के स्थान पर, निम्नलिखित उप विनियम रखा जाएगा, अर्थात्:— " (3) उप विनियम(1) के अधीन इस प्रकार प्रदत्त अनुज्ञा उस अविध के लिए विधिमान्य होगी जिसके लिए धारा 14 के खंड (क) के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित ऊर्जा उपभोग मानक द्वारा विनिर्दिष्ट स्टार स्तर प्रवृत्त है।";

(ii) उप—विनियम (5) के पश्चात् निम्नलिखित उप विनियम अन्तःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात्ः—

- "(6) अनुज्ञापत्रधारी, जो उस तारीख से जिससे पुनरीक्षित स्टार स्तर प्रवृत्त हुए हैं, कक्ष वातानुकूलक के विद्यमान मॉडल पर लेबल चिपकाना जारी रखने के लिए अनुज्ञा की याचना करता है, उसे प्ररूप IV में केवल एक घोषणा करनी होगी।
- (7) अनुज्ञापत्रधारी पुनः लेबल चिपकाने की अनुमित लेगा, यदि कक्ष वातानुकूलक के एक नए मॉडल को पुनरीक्षित स्टार स्तर के समनुरूप उतारने की योजना बनाई है, तो ऐसी अनुमित के लिए पुनरीक्षित स्टार स्तर के प्रवृत्त होने से छह मास पहले आवेदन करना होगा।"।
- 6. मूल विनियमों के, विनियम 8 में खंड (च) के पश्चात्, निम्नलिखत खंड अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:— "(चक) अनुज्ञापत्रधारी को प्राधिकृत वितरकों, डीलरों, खुदरा व्यापारियों, विकेताओं,जिन्हें उनके लेबलयुक्त उत्पादों को बेचने के लिए नियुक्त किया गया है, की अद्यतित सूची को अपनी वैबसाइट पर संप्रदर्शित करना होगा और प्रत्येक वर्ष, 1 अप्रैल को इसे ब्यूरो और राज्य अभिहित अभिकरणों को प्रस्तुत करना होगा;"

मूल विनियम के विनियम 11 में, उप विनियम (4) और (5) के स्थान पर निम्नलिखित उप विनियम अंतः स्थापित किए

जाएंगे, अर्थात्:-

"(4) जहां द्वितीय परीक्षण असफल होता है, वहां ब्यूरो-

- (क) अनुज्ञापत्रधारी को प्ररूप V में यह निदेश देगा कि सभी राज्य अभिहित अभिकरणों को सूचित करते हुए अनुज्ञापत्रधारी दो मास की अवधि के भीतर,—
 - (i) कक्ष वातानुकूलक के लेबल पर संप्रदर्शित स्टार स्तर को सही करेगा या परीक्षण के दौरान पाए गए नुक्सों और किमयों को दूर करेगा;

(ii) ब्यूरो के निदेशानुसार बाजार से सारे स्टाक को हटाएगा; और

(iii) विज्ञापन सामग्री पर संप्रदर्शित विशिष्टियों को बदलेगा।

- (ख) उपमोक्ताओं के लाभ के लिए, दो मास के भीतर किसी अनुज्ञापत्रधारी का नाम, ब्रांड नाम, मॉडल नाम या मॉडल संख्या, लोगो और अन्य विनिर्दिष्ट किसी राष्ट्रीय या क्षेत्रीय दैनिक समाचार पत्र में और किसी इलैक्ट्रानिक या किसी अन्य रीति से, जैसा उचित समझा जाए, प्रकाशित करेगा;
- (ग) अधिनियम की धारा 27 के अधीन अनुज्ञापत्रधारी और व्यापारी के खिलाफ न्यायनिर्णयन कार्यवाही शुरू करने के लिए . संबद्ध राज्य अभिहित अभिकरणों को संसूचित करेगा;

(5) अनुज्ञापत्रधारी, उप-विनियम (4) में उल्लिखित दो मास की अवधि की समाप्ति के दस दिन के भीतर -

(क) निदेश के अनुपालन में की गई कार्रवाई की बाबत ब्यूरो को प्ररूप VI में अनुपालन रिपोर्ट भेजेगा; और

(ख) यदि खंड (क) में निर्दिष्ट अनुपालन रिपोर्ट विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर प्राप्त नहीं होती है, या किसी दिशा निर्देश के अनुपालन के बिना विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर प्राप्त होती है, तो इसे ब्यूरो द्वारा पारित इस आशय के आदेशों और जारी किए गए निदेशों का अननुपालन समझा जाएगा।

(6) ब्यूनो, खंड (क) में निर्दिष्ट अनुपालन रिपोर्ट और उप-विनियम (5) के खंड (ख) में पारित आदेशों की एक प्रति धारा 17 और उपर्युक्त खंड (ख) के अधीन पारित आदेश के प्रवर्तन कार्रवाई के प्रयोजन के लिए सभी राज्य अभिहित अभिकरणों को

भेजेगा।

9.

(7) जहां अनुज्ञापत्रधारी, उप–विनियम (4) के अधीन ब्यूरो द्वारा जारी किए गए निदेशों का अनुपालन करने में असफल रहता है, वहां ब्यूरो, सभी राज्य अभिहित अभिकरणों को सूचित करते हुए,–

(क) विनियम 7 के उप-विनियम (1) के अधीन अनुज्ञापत्रधारी को प्रदत्त अनुज्ञा को वापस ले लेगा;

(ख) धारा 14 के खंड (क) के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित ऊर्जा उपभोगमानक का अनुरूप, केन्द्रीय सरकार द्वारा धारा 14 के खंड (ग) के अधीन विचार करने और कार्रवाई करने के लिए खंड (क) के अधीन ब्यूरो द्वारा जारी किए गए आदेशों का अनुपालन करने में यदि अनुज्ञापत्रधारी असफल रहता है, तो इसके समर्थन में परीक्षण रिपोर्ट के साथ इसकी रिपोर्ट केन्द्रीय सरकार को भेजेगा;

(ग) उपभोक्ताओं के लाभ के लिए, दो मास के भीतर किसी अनुज्ञापत्रधारी का नाम, ब्रांड नाम, मॉडल नाम या मॉडल संख्या, लोगो और अन्य विनिर्दिष्ट किसी राष्ट्रीय या क्षेत्रीय दैनिक समाचार पत्र में और किसी इलैक्ट्रानिक या

किसी अन्य तरीके से, जैसा उचित समझा जाए, प्रकाशित करेगा;

(घ) अधिनियम की धारा 27 के अधीन अनुज्ञापत्रधारी और व्यापारी के खिलाफ न्यायनिर्णयन कार्यवाहियां और शुरू करने के लिए संबंध्द राज्य अभिहित अभिकरणों को सूचित करेगा।

मूल विनियम के प्ररूप II में, विद्यमान पैराग्राफ 5 के स्थान पर निम्नलिखित पैराग्राफ रखा जाएगा, अर्थात्:-

"5. जहां स्टार स्तर की योजना की पुनर्विलोकन करने पर ब्यूरो द्वारा उपांतरित की जाती है, कक्ष वातानुकूलक का स्टार स्तर निम्नानुसार उपांतरित किया जाएगाः

(क) यदि नया मॉडल पुनरीक्षित स्टार स्तर के अनुरूप शुरू किया जाता है, तो नए स्टार स्तर के प्रवृत्त होने की तारीख

से छह मास पूर्व ब्यूरो को ऐसी अनुमति के लिए एक आवेदन देना होगा;

(ख) जहां विद्यमान मॉडल को ही उपांतरित स्टार स्तर के रूप में जारी रखा जाता है, वहां प्ररूप IV में, केवल एक घोषणा ब्यूरो को प्रस्तुत करनी होगी।".

मूल विनियम में, प्ररूप III के पश्चात्, निम्नलिखित प्ररूप अन्तःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात्:-

"प्ररूप IV घोषणा

[विनियम 7(6) देखिए]

(प्रत्येक भिन्न मॉडल के लिए, संबंधित उपाबंध के साथ एक अलग पत्र प्रस्तुत करना होगा) (निगमित निकाय/लेबल के उपयोगकर्ता के पत्रशीर्ष पर)

तारीख:

सेवा में महानिदेशक ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार) चौथा तल, सेवा भवन, सैक्टर 1, आर के पुरम, नई दिल्ली— 110066 भारत। विषय : तारीखसे ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (कक्ष वातानुकूलकों के लेबलों पर उनके संप्रदर्शन की विशिष्टियां और रीति) विनियम, 2009 प्रभावी स्टार स्तर के पुनरीक्षण के अनुसार लेबल चिपकाने की अनुमति के लिए आवेदन

1. मैं / हम कक्ष वातानुकूलक के विनिर्माता हैं जो [कम्पनी का नाम और पूरा पता] स्टाइल के अधीन [व्यष्टि या फर्म का पूरा नाम] कारोबार कर रहा हूं / रहे हैं, जो [उपस्कर का नाम] लेबल विपकाने की अनुमित के लिए आवेदन करता हूं / करते हैं, जैसािक ऊर्जा दक्षता ब्यूरो कक्ष वातानुकूलकों के लेबलों पर उनके संप्रदर्शन की विशिष्टियां और रीित) विनियम, 2009 में विनिर्दिष्ट हैं, जिनमेंसे प्रभावी स्टार स्तर में पुनरीक्षण किया जाएगा।

2. विनिर्माणकारी सुविधाः उक्त उपकरण[व्यष्टि या फर्म का पूरा नाम] द्वारा विनिर्मित या आयातित किया गया है और [फैक्टरी का नाम और पता] में विनिर्मित किया गया है या[फैक्टरी/आयातक का नाम और पता] से आयात किया गया है.......

3. नए स्टार स्तर से अनुरूपताः मैं / हम सारणी में परिवर्तन सारणी.....के अनुसार पुष्टि करता हूं / करते हैं, जैसािक 9 जनवरी, 2012 को [उपकरण का नाम] के लिए अधिसूचना में विनिर्दिष्ट है। (अधिसूचना का शीर्षक) उपरोक्त उपकरण (जो पहले अनुमोदित था) के संबंध में बीईई लाइसेंस / प्रमाणपत्र / अनुमोदन की एक प्रति संलग्न हैं

कक्ष वातानुकूलक के संबंध में बीईई लेबल (स्टार स्तर परिवर्तन में पुनरीक्षण के अनुसार) की एक प्रति संलग्न है।

नई सारणी के अनुसार उपकरण / मॉडल के ब्यौरे:

नेंडल का नाम

विशिष्टियां	मूल्य निरूपण	
प्रशीतन क्षमता		
विद्युतउपभोग		A Company of the Comp
ईईआर		
स्टार रेटिंग	(विद्यमान लेबल स्तर के अनुसार)	(स्टार स्तर के पुनरीक्षण के अनुसार)

6. मैं / हम स्टार लेबल प्रारूप के[विद्यमान स्टार लेबल स्तर] से [पुनरीक्षित स्टार लेबल स्तर] में हस्तलिखित आवेदन और ऑनलाइन वैब पोर्टल में परिवर्तन करने के लिए सहमत हूं / हैं।

7. मैंने उक्त कक्ष वातानुकूलक के लिए तारीख तक के तिमाही उत्पादन के आंकड़े और लेबलिंग शुल्क प्रस्तुत कर दिया है।

8. मैं / हम ब्यूरो द्वारा विनिर्दिष्ट सभी शर्तों और निबंधनों को मानने के लिए सहमत हूं / हैं और यदि ब्यूरो द्वारा कोई जांच की जाती है तो ब्यूरो को आवश्यक सहायता / सहयोग देने के लिए सहमत हूं / हैं।

9. मैं / हम ऊर्जा दक्षता ब्यूरो को सत्यापन और चुनौती परीक्षण के लिए नमूने का चयन करने के लिए प्राधिकृत करता हूं / करते हैं और इस संबंध में ब्यूरो के निर्देशों को मानने के लिए सहमत हूं / हैं।

10. मैं / हम वचन देता हूं / देते हैं कि इस आवेदन में दी गई सूचना मेरी पूरी जानकारी के अनुसार सही है और यदि दी गई कोई जानकारी गलत पाई जाती है तो आवेदन को रदद कर दिया जाए।

तारीख

		दिन	(वर्ष)
		हस्ताक्षर	
		पद नाम	
कृते	और	की ओर से	
			(फर्म का नाम)
			फर्म की मोहर

प्ररूप V [विनियम 11(4) देखिए] द्वितीय जांच पड़ताल में असफल होने पर अनुज्ञापत्र धारी को निदेश

नई	दिल्ली	तारीख	 20

सेवा में

कर्जा दक्षता ब्यूरो, (कक्ष वातानुकूलकों के लेबलों पर उनके संप्रदर्शन की विशिष्टियां और रीति) विनियम, 2009 के विनियम 7 के उपबंधों के अनुसार आपकों बीईई पत्र सं
3. ब्यूरो अपने पूर्वोच्न सत्यापन अभिकरण के माध्यम से पैरा 2 में निर्दिष्ट नमूने को मेसर्स
4. अनन्य पहचान क्रम संख्या वाले नमूने की जांच रिपोर्ट के परिणाम संलग्न हैं। उपदर्शित जांच रिपोर्ट के परिणाम यह उपदर्शित हैं कि नमूना कक्ष वातानुकूलक ऊर्जा उपभोग मानक, विनिर्दिष्ट दर पर क्षमता, ईईआर आदि को पूरा करने में असफल था और आपके द्वारा विनिर्मित/आयातित कक्ष वातानुकूलक पर लेबल चिपकाने के लिए अनुज्ञा मांगने के लिए आपके द्वारा प्रस्तुत किये गये आवेदन के साथ संलग्न प्ररूप I में आपके द्वारा दिए गए जांच ब्यौरों के अनुरूप नहीं है। परीक्षण परिणाम आपके बीईई के पत्र संख्या द्वारा प्राधिकृत सम्पर्क व्यक्ति के नाम में आपको मेजे गए थे। एनएबीएल प्रत्यायित प्रयोगशाला मेसर्स
5. द्वितीय जांच सत्यापन परीक्षण के लिए नमूना हमारे प्राधिकृत अभिकरण मेसर्स
6. एनएबीएल प्रत्यायित प्रयोगशाला के सक्षम प्राधिकृत कार्मिक द्वारा सम्यक रूप से तैयार किए गए, जांच किए गए और प्रतिहस्ताक्षरित किए गए परीक्षण परिणाम द्वितीय परीक्षण सत्यापन रिपोर्ट में विहित हैं। परीक्षण रिपोर्ट द्वितीय जांच परीक्षण के एक साक्षी के रूप में हमारे प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता द्वारा सम्यक रूप से हस्ताक्षरित भी है। परीक्षण परिणाम यह पुष्टि करते हैं कि विनिर्मित और बाजार में बेचे गए कक्ष वातानुकूलक का.आ. संख्या 181 (अ) तारीख 12 जनवरी, 2009 में दिए गए अपेक्षित पैरामीटरों तथा मानकों और उन पर चिपकाए गए लेबल पर संप्रदर्शन के लिए विशिष्टियां आपको दी गई अनुज्ञा की शर्तों और निबंधनों को पूरा नहीं करती हैं।
7. अतः, अब ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (कक्ष वातानुकूलकों के लेबलों परउनके संप्रदर्शन की विशिष्टियां और रीति) विनियम, 2009 के विनियम 11 के उप–विनियम (4) के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए ब्यूरो निदेश करता है कि–
(i) कक्ष वातानुकूलक के स्तर पर संप्रदर्शित स्टार लेबल को सही करें।

(ii) ब्यूरो के निदेशों के अनुपालन में बाजार से सभी स्टाक को हटाएं; और

(iii) विज्ञापन सामग्री पर संप्रदर्शित विशिष्टियों को बदलें।

आपको निदेशित किया जाता है कि इस पत्र के जारी होने की तारीख से दो मास के भीतर पूर्वोक्त सुधार संबंधी कार्रवाई पूरी की जाए और दो मास के अवसान के पश्चात् 10 दिन के भीतर, अर्थात्-201-तक प्ररूप V में अनुपालन रिपोर्ट भेजें। यदि उक्त तारीख तक कोई अनुपालन रिपोर्ट प्राप्त नहीं होती है तो ब्यूरो, ऊर्जा दक्षता ब्यूरो कक्ष वातानुकूलकों के लेबलों पर उनके संप्रदर्शन की विशिष्टियां और रीति) विनियम, 2009 के विनियम 11 के उप-विनियम (5) के खंड (ख) के रूप में

ब्यूरो, ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (कक्ष वातानुकूलकों के लेबलों पर उनके संप्रदर्शन की विशिष्टियां और रीति) विनियम, 2009 के विनियम 11 के विनियम (4) (5) (6) और (7) के अनुसार इस मामले में आगे अनुवर्ती कार्रवाई करेगा।

> सचिव. ऊर्जा दक्षता ब्यूरो

असफल मॉडल की परीक्षण रिपोर्ट

विनिर्माता के साथ पत्राचार

प्ररूप VI की गई कार्रवाई की रिपोर्ट [विनियम 11 (5) देखिए] (कम्पनी के पत्र शीर्ष में प्रस्तुत किया जाए)

ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (कक्ष वातानुकूलकों के लेबलों पर उनके संप्रदर्शन की विशिष्टियां और रीति) विनियम 2009, के
विनियम 7 के उपबंधों के अनुसरण में, हम मेसर्स कक्ष वातानुकूलकों के विनिर्माता, को मॉडल संख्या
के लिए बीईई पत्र संख्या
समनुरूप कक्ष वातानुकूलकों पर लेबल चिपकाने के लिए अनुज्ञा दी गई थी।
ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (कक्ष वातानुकूलकों के लेबलों पर उनके संप्रदर्शन की विशिष्टियां और रीति) विनियम 2009, के
विनियम 11 के उप-विनियम (4) के उपबंधों के अनुसरण में हमें निदेश दिए गए थे कि हम घोषणा करते हैं कि हमारी ओर से
निम्नलिखित कार्रवाई कर ली गई है।

	निर्देशित कार्रवाई	अवस्थिति	की गई कार्रवाई
(i)	ब्यूरो के निर्देशों का अनुपालन करने के लिए लेबल पर सही स्टार स्तर संप्रदर्शित किया जाए	हां / नहीं / लागू नहीं होता	ब्यूरो के निदेशों के अनुपालन में बाजार से पूरे स्टाक पर
(ii)	ब्यूरो के निर्देशों का अनुपालन करने के लिए	हां/नहीं/लागू नहीं	बाजार से पूरा स्टाक हटा लिया
	बाजार से पूरा स्टाक हटाया जाए	होता	गया है।
(iii)	विज्ञापन सामग्री पर संप्रदर्शित विशिष्टियों को	हां/नहीं/लागू नहीं	हां / नहीं / लागू नहीं
	बदला जाए	होता -	होता


उपर्युक्त घोषणा मेरी / हमारी पूरी जानकारी और विश्वास के अनुसार सही है।

हस्ताक्षर नाम पद नाम कृते और के लिए कम्पनी / फर्म आदि का नाम फर्म की सील।"।


10. मूल विनियम के विद्यमान अनुसूची के स्थान पर, निम्नलिखित अनुसूची रखी जाएगी, अर्थात्:-

"अनुसूची [विनियम 3(2) देखिए]

- एकिक के लेबलों पर संप्रदर्शित की जाने वाली विशिष्टियों के ब्यौरे (31 दिसम्बर, 2013 तक लागू)
- (1.1) लेबल डिजाइन, आकार, रंग स्कीम और लेबल की अंतर्वस्तु में यह सम्मिलित होगा।
- (i) लेबल के निम्नलिखित आयामी अभिकल्पन, अर्थात:-




(ii) लेबल (एकिक कक्ष वातानुकूलक) के लिए निम्नलिखित रंग स्कीम, अर्थात्:-



(iii) ब्यूरों के लोगों के लिए निम्नलिखित रंग स्कीम अर्थात्:— नीला— रंगत(H)—239 संतृप्ति (S) : 64% द्युति (B): 59% ज्योतिर्मयता या हल्कापन (L) : 28, रंग संबंधी घटक —a:24b:54 लाल (R): 54 हरा (G): 55 नीला (B): 151 सायन (C): 97% मेजेन्टा (M): 95% पीला (Y): 6% काला (K): 1% वेब रंग कोड —#363797 हरा रंगत (H): 150 संतृप्ति (S) : 10% द्युति (B) 67% ज्योतिर्मयता या हल्कापन (L) : 61, रंग संबंधी घटक —a:53b:32 लाल (R): 0 हरा (G): 170 नीला (B): 87 सायन (C): 81% मेजेन्टा (M): 10% पीला (Y): 90% काला (K): 1% वेब रंग कोड —#00AA56;

(iv) निम्नलिखित एकिक कक्ष वातानुकूलक के लिए मुद्रित लेबल का संपूर्ण नमूना, अर्थात्:-




(1.2) सामग्री और आकार लेबल टिकाऊ गत्ते का होना चाहिए, यदि इसे स्विंग टैग के रूप में संलग्न किया जाना है या स्वतः चिपकने वाला हो, और लेबल के लिए विमिय डिजाइन स्कीम में दिखाई गई रूपरेखा पर काटना होगा।


2. स्प्लिट कक्ष वातानुकूलकों के लेबलों पर संप्रदर्शित की जाने वाली विशिष्टियों के ब्यौरे (01 जनवरी, 2014 के पश्चात् एकिक कक्ष वातानुकूलकों के लिए भी लागू)

2.1 लेबल डिजाइन, आकार, रंग स्कीम और लेबल की अन्तर्वस्तु में यह सम्मिलित होगा

(i) निम्नानुसार लेबल का विमीय डिजाइन, अर्थात्:-




(ii) लेबल (स्प्लिट कक्ष वातानुकूलकों) के लिए निम्नलिखित रंग स्कीम, अर्थात्:-



टिप्पण : ऊर्जा दक्षता अनुपात संप्रदर्शन (हरा) की पृष्ठभूमि में रंग टोन वही होगा जो ऊर्जा दक्षता ब्यूरो के लोगों के लिए अनुज्ञात है।

(iii) ब्यूरों के लोगों के लिए निम्निलिखत रंग स्कीम अर्थात्:— नीला— रंगत (H) —239 संतृप्ति (S) : 64% द्युति (B): 59% ज्योतिर्मयता या हल्कापन (L) : 28, रंग संबंधी घटक —a:24b:54 लाल (R): 54 हरा (G): 55 नीला (B): 151 सायन (C): 97% मेजेन्टा (M): 95% पीला (Y): 6% काला (K): 1% वेब रंग कोड —#363797 हरा रंगत (H): 150 संतृप्ति (S) : 10% द्युति (B) 67% ज्योतिर्मयता या हल्कापन (L) : 61, रंग संबंधी घटक —a:53b:32 लाल (R): 0 हरा (G): 170 नीला (B): 87 सायन (C): 81% मेजेन्टा (M): 10% पीला (Y): 90% काला (K): 1% वेब रंग कोड —#00AA56; (iv) निम्निलिखित स्थ्लिट कक्ष वातानुकूलकों के लिए मुद्रित लेबल का संपूर्ण नमूना, अर्थात्:—



(2.2) सामग्री और आकार लेबल टिकाऊ गत्ते का होना चाहिए, यदि इसे स्विंग टैंग के रूप में संलग्न किया जाना है या स्वतः चिपकने वाला हो, और लेबल के लिए विमिय डिजाइन स्कीम में दिखाई गई रूपरेखा पर काटना होगा"।

ज्योति अरोरा, महानिदेशक, ऊर्जा दक्षता ब्यूरो

[विज्ञापन-111/4/असाधारण/187-जी/13]

पाद टिप्पण : मूल विनियम, अर्थात्: ऊर्जा दक्षता ब्यूरो कक्ष वातानुकूलकों के लेबलों पर उनके संप्रदर्शन की (विशिष्टियां और रीति) विनियम, 2009 राजपत्र में भाग III, धारा 4 में संख्या 2/11(5)/03 बीईई–2, तारीख 6 जुलाई, 2009 द्वारा अधिसूचित किया गया था और इसमें संख्या 2/11(5)/03 बीईई–2, तारीख 5 जनवरी, 2010 द्वारा अंतिम संशोधन किया गया।

THE BUREAU OF ENERGY EFFICIENCY

NOTIFICATION

New Delhi, the 8th May, 2013

No. 2/11(5)/03-BEE-2.— Whereas the draft of the Bureau of Energy Efficiency (Particulars and Manner of their Display on Labels of Room Air Conditioners) Amendment Regulations, 2012, was published vide number 2/11(5)/03-BEE-2 dated the 8th October,2012 in Part III, section 4 of the Gazette of India, Extraordinary, dated the 9th October, 2012, as required under sub-section (1) of section 58 of the Energy Conservation Act, 2001 (52 of 2001), inviting objections or suggestions from all persons likely to be affected thereby within thirty days from the date of publication in the Official Gazette;

And, whereas, Gazette copies of the said draft regulations were published in the aforesaid Gazette on the 9thOctober, 2012;

And, whereas, certain objections or suggestions have been received from the public with respect to the said draft regulations within the specified period aforesaid;

And whereas the suggestions received have been taken into consideration;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by clause (d) of section 14 read with clause (i) of subsection (2) of section 58 of the said Energy Conservation Act, 2001 (52 of 2001), the Bureau of Energy Efficiency, with the previous approval of the Central Government, hereby makes the following regulations, namely:—

- 1. Short title and commencement.—(1) These regulations may be called the Bureau of Energy Efficiency (Particulars and Manner of their Display on Labels of Room Air Conditioners) Amendment Regulations, 2013.
 - (2) They shall come into force on the date of their final publication in the Official Gazette.
- 2. In the Bureau of Energy Efficiency (Particulars and Manner of their Display on Labels of Room Air Conditioners) Regulations, 2009 (hereinafter referred to as the principal regulations) in regulation 2, in sub-regulation (1),—
- (i). after clause (b), the following clause shall be inserted, namely:-
 - '(ba) "label period" means the validity period of the energy efficiency ratio under the energy consumption standard specified by the Central Government under clause (a) of section 14 and in case the end period of the energy efficiency ratio is not specified, it shall be deemed to be valid until a new energy efficiency ratio is specified by the Central Government;';
- (ii) for clause (e), the following clauses shall be substituted, namely:-
 - '(e)"star rating or star level" means the grade of energy efficiency displayed on the label of the room air conditioner based on the energy consumption standard notified under clause (a) of section 14 to denote the energy efficiency of the air conditioner;';
 - '(f) "trader or seller" in relation to any labelled room air conditioner means, a person who sells or distributes any such room air conditioner and includes the manufacturer, trader, and permittee given permission to affix label on such room air conditioner.'
- 3. In the principal regulations, in regulation 3, in sub-regulation (1),—
 - (i) after clause (k), the following clause shall be inserted, namely:-
 - "(l) label period."
 - (ii) after sub-regulation (1), the following sub-regulation shall be inserted, namely:—

- "(1A) The particulars specified in clause (l) of sub-regulation (1) shall be displayed on unitary type airconditioner after the 31st December, 2013.".
- 4. In the principal regulations, in regulation 4, the existing regulation 4 shall be renumbered as sub-regulation (1) thereof and after sub-regulation (1) as so renumbered, the following sub-regulations shall be inserted, namely:—
 - "(2) On and from the commencement of revised energy consumption standards under clause (a) of section 14 of the Act, every permittee shall ensure that—
 - (a) the stock of room air conditioners with label displaying the star level available in the market is fully exhausted or relabelled or withdrawn from the market before the date of commencement;
 - (b) the room air conditioner put on sale shall also display label period provided that the permittee shall be at liberty to introduce the room air conditioner in the market three months prior to such commencement.
 - (c) all the preparatory steps including awareness of the dealers, retailers, requisite publicity for their education as well as for the education of the consumers shall be well planned and taken six months in advance of the date of such commencement under this regulation.
- (3) Where the permittee failes to ensure compliance of the provisions specified in clause (a) of sub-regulation (2), on account of market conditions beyond his control, and there are reasonable grounds to believe that the consumer would find it difficult to make a considered choice on the basis of energy efficiency between the air conditioner referred to in clause (a) and clause (b) of sub-regulation (2), the permittee, with the previous approval of the Bureau shall display energy efficiency ratio, referred to in clause (k) of sub-regulation (1) of regulation 3 on the label in green colour as per design shown in the Schedule to make a distinction between the air conditioner referred to in clause (a) and clause (b) of sub-regulation (2)."
- 5. In the principal regulations, in regulation 7,—
 - (i) for sub-regulation (3), the following sub-regulation shall be substituted, namely:—
- "(3) The permission so granted under sub-regulation (1) shall be valid for the duration for which the star level specified by the energy consumption standard as notified by the Central Government under clause (a) of section 14 is in force.";
 - (ii) after sub-regulation (5), the following sub-regulations shall be inserted namely:—
 - "(6) The permittee who seeks permission for continuance to affix label on the existing model of the room air conditioner from the date from which the revised star level comes into force shall submit only a declaration in form IV.
 - (7) The permittee shall seek permission to affix label afresh, if new model of the room air conditioner is planned to be launched synchronising with the revised star level, and application for such permission shall be made six months in advance of coming into force of the revised star level.".
- 6. In the principal regulations, in regulation 8 after clause (f), the following clause shall be inserted, namely:—
- "(fa) the permittee shall display on its web-site an updated list of authorised distributors, dealers, retailers, sellers appointed to sell their labelled products and furnish the same to the Bureau as well as to the State Designated Agencies as on 1st April of each year,".
- 7. In the principal regulations, in regulation 11, for sub-regulations (4) and (5), the following sub-regulations shall be substituted, namely:—
 - "(4) Where the second test fails, the Bureau shall, -
- (a) direct the permittee in Form V, under intimation to all the State Designated Agencies, that the permittee within a period of two months shall,—

- (i) correct the star level displayed on the label of the room air conditioner or remove the defects and deficiencies found during testing;
- (ii) withdraw all the stocks from the market to comply with the directions of the Bureau; and
- (iii) change the particulars displayed on advertising material.
- (b) publish for the benefit of the consumers, the name of any permittee, brand name, model name or model number, logo and other specification in any national or regional daily newspaper and in any electronic or in any other manner as it deems fit within two months;
- (c) intimate to the concerned State Designated Agency to initiate adjudication proceedings against the permittee and the trader under section 27 of the Act.
- (5) The permittee within ten days of the conclusion of the period of two months referred to in sub-regulation (4) shall,—
 - (a) send the compliance report in Form VI to the Bureau with respect to action taken in compliance with the direction; and
 - (b) in case compliance report referred to in clause (a) is not received or received without complying to any of the direction within the specified period, it shall be deemed as non-compliance of the direction issued and orders to that effect shall be passed by the Bureau.
- (6) The Bureau shall send a copy of the compliance report referred to in clause (a) and orders passed in clause (b) of sub-regulation (5) to all the State Designated Agencies for the purpose of taking action under section 17 and enforcement of order passed under the aforesaisd clause (b).
- (7) Where the permittee fails to comply with the directions issued by the Bureau under sub-regulation (4), the Bureau under intimation to all State Designated Agencies, shall,—
 - (a) withdraw the permission granted to the permittee under sub-regulation (1) of regulation 7;
 - (b) send report to the Central Government accompanied by the test report insupport of the failure by the permittee to conform to the energy consumption standard notified by the Central Government under clause (a) of section 14, the orders issued by the Bureau under clause (a) for consideration and taking action under clause (c) of section 14 by the Central Government;
 - (c) publish for the benefit of the consumers, the name of any permittee, brand name, model name or model number, logo and other specification in any national or regional daily newspaper and in any electronic or in any other manner it deems fit within two months;
 - (d) intimate to the concerned State Designated Agencies to initiate further adjudication proceedings against the permittee and the trader under section 27 of the Act.
 - 8. In the principal regulations, in Form II, for the existing paragraph 5, the following paragraph shall be-substituted, namely:—
 - "5. Where the star level plan on review is modified by the Bureau, the star level of the room air conditioner shall stand modified as follows:
 - (a) if new model is launched synchronising with the revised star level, an application for such permission shall be made to Bureau six months in advance of the date from which new star level comes in to force;
 - (b) where the existing model is continued to give effect to the modified star level, only a declaration in Form IV shall be submitted to the Bureau.".
- 9. In the principal regulations, after Form III, the following Forms shall be inserted, namely:—

"Form IV DECLARATION [Refer Regulation 7(6)]

(For Each different model, a separate letter shall be submitted along with respective Annexure)

(On the letter head of corporate body / User of Label)

Date:

TO
THE DIRECTOR GENERAL
BUREAU OF ENERGY EFFICIENCY
(MINISTRY OF POWER, GOVT. OF INDIA)
4TH FLOOR, SEWA BHAWAN,
SECTOR 1, R.K.PURAM,
NEW DELHI-110 066
INDIA.

Sub: Application for permission to affix label vide Bureau of Energy Efficiency (Particulars and Manner of their display on Label of Room Air Conditioners) Regulations, 2009 as per revision of star level effective from

- 3. Conformance to New Star Level: I/We conform to the table change as per TABLEas specified in the S.O. number, 181(E) dated 9th January 2012 for the room air conditioner. A copy of the BEE License/certificate/approval in respect of the above equipment (which was earlier approved) is enclosed.
- 4. A copy of the BEE Label (as per revision of star level change) in respect of the Room Air Conditioner is enclosed.
- 5. Details of the Equipment / Model as per the new Table:

Model Name

Particulars	Values	
Cooling Capacity	-	
Power Consumption		
EER		
Star Rating	(As per existing label level)	(As per revision of star level)

- 6. I/We agree to change my star label from [EXISTING STAR LABEL LEVEL] to [REVISED STAR LABEL LEVEL] in manual application as well as in the online web portal.
- 7. I have submitted my quarterly production data and labelling fee till date for the said Room Air Conditioner.

- 8. I/We agree to abide by all the terms and conditions specified by the Bureau and extend necessary assistance/cooperation to the Bureau in case of any enquiry to be made by it.
- 9. I/We authorise the Bureau of Energy Efficiency for selection of sample for verification and challenge testing and agree to abide by the directions of the Bureau in this regard.
- 10. I/We undertake that the information supplied in this application is accurate to the best of my knowledge, and should any of the information supplied be found to be incorrect, the application may be rejected forthwith.

Date:

D	ay of (Year)
Signature	
	on
For and o	on behalf of
	(Name of the firm)
	SEAL OF FIRM

FORM V [Refer Regulation 11(4)] Direction to Permittee on failure of Second Test checking

			120 X
To		New Delhi, dated the	201
			777
			26-1
	······		

Pursuant to the provisions of regulation 7 of the Bureau of Energy Efficiency (Particulars and Manner of their Display on Labels of Room Air Conditioners) Regulations, 2009 you were permitted to affix label on the room air conditioners vide BEE letter No.dated....... subject to the compliance of the terms and conditions specified therein.

- 3. The Bureau through its aforesaid Verification Agency had transported the sample referred to in para 2 to M/s., a NABL accredited laboratory for conducting tests in accordance with the test procedure indicated in paragraphs 3 and 4 of S.O. number 181(E), dated the 12th January, 2009 for giving Test Report in accordance with the Form given in Annexure to S.O. number 181(E), dated the 12th January, 2009.
- 4. The results of the Test Report on the sample bearing Unique Identification serial number is enclosed. The results of the Test Report indicated that the sampled Air Conditioner failed to meet the energy consumption standard, specified rated capacity, EER, etc. and did not conform to the Test details furnished by you in Form 1 annexed to the Application submitted by you for seeking permission to affix label on the Room Air Conditioner manufactured/imported

0

by you. The Test Results were sent to you vide BEE letter number...dated.......in the name of your authorised Contact person. You were also requested to attend and witness the Second Check Verification Test of the samples at the NABL Accredited Laboratory M/s......

- 6. The Test results are contained in Second Test Verification Report duly prepared checked and counter signed by the competent authorized personnel of the NABL Accredited Laboratory. The test report is also duly signed by your authorised signatory as witness of 2nd check testing. The Test Results confirm that they failed to meet the requisite parameters and standards given in S.O. number 181(E) dated, 12th January, 2009 and the terms and conditions of the permission given to you for display of particulars on label affixed to the air conditioner manufactured and sold in the market.
- 7. Now, therefore in exercise of the power conferred by clause (a) of sub-regulation (4) of Regulation 11of the Bureau of Energy Efficiency (Particulars and Manner of their Display on Labels of Room Air Conditioners)
 Regulations, 2009, the Bureau hereby direct to—
 - (i) correct the star level displayed on the label of the room air conditioneror remove the defects and deficiencies found during testing:
 - (ii) withdraw all the stocks from the market to comply with the directions of the Bureau; and
 - (iii) change the particulars displayed on advertising material.
- 8. You are hereby directed to complete the aforesaid corrective action within two months from the date of issue of this letter and send the compliance report in Form V within 10 days after the expiry of two months i.e. by201.... In case no compliance report is received by the said date the Bureau shall proceed to take action in terms of clause (b) of sub-regulation (5) of Regulation 11 of the Bureau of Energy Efficiency(Particulars and Manner of their Display on Labels of Room Air Conditioners) Regulations, 2009.
- 9. The Bureau shall take further follow up action in the matter in terms of regulation (4) (5)(6) and (7) of regulation 11 of the Bureau of Energy Efficiency (Particulars and Manner of their Display on Labels of Room Air Conditioners) Regulations, 2009.

Secretary, Bureau of Energy Efficiency

Enclosures:

- 1. Test reports of the failed model
- 2. Correspondence with the manufacturer

Form VI Action Taken Report [Refer Regulation 11(5)]

(To be furnished on Company's letter head)

To
'THE SECRETARY,
BUREAU OF ENERGY EFFICIENCY
(MINISTRY OF POWER, GOVT. OF INDIA)
4TH FLOOR, SEWA BHAWAN,
SECTOR 1, R. K. PURAM,
NEW DELHI-110 066
INDIA.

Pursuant to the provisions of regulation 7 of the Bureau of Energy Efficiency (Particulars	Manner of
their Display on Labels of Room Air Conditioners Regulations, 2009, we M/s we M/s	the
manufacturer of room air conditioners were permitted to affix label on the room air conditioners	conforming to the
energy consumption standard ofstar level vide BEE letter Nodated	
number	

Pursuant to the provisions of sub-regulation (4) of regulation 11 of the Bureau of Energy Efficiency (Particulars and Manner of their Display on Labels of Room Air Conditioners Regulations, 2009, we were given the following directions. We hereby declare that the following actions have been taken at our end.

	Action Directed	Status	Action Taken
(i)	Correct the star level displayed on the label of room air-conditioner to comply with the directions of the Bureau.	Yes/No/NA	The star level has been corrected fromstar tostar
(ii)	Withdraw all the stocks from the market to comply with the directions of the Bureau	Yes/No/NA	All the stocks from the market have been withdrawn
(iii)	change the particulars displayed on advertising material.	Yes/No/NA	Yes/No/NA


The above declaration is true to the best of our knowledge and belief.

Signature
Name
Designation
For and on behalf of.....
Name of the Co./Firm etc.
seal of the firm/ company".

10.In the principle regulations, for the existing schedule, the following schedule shall be substituted, namely:-


"Schedule [See regulation 3(2)]

- Details of particulars to be displayed on labels of Window type Air Conditioners (Applicable up to 31st December, 2013)
- (1.1) Label design, size, colour scheme and content of the label shall include -
- (i) the following dimensional design of label, namely:-



0

(ii) the following colour scheme for the label(Window type Air conditioners), namely:-



(ii) the following colour scheme for Bureau's logo, namely:-


BLUE -

Hue(H)-239° Saturation(S):64% Brightness(B):59%
Luminance or lightness(L):28, chromatic components -a:24 b:54
Red(R):54 Green(G):55 Blue(B):151
Cyan(C):97% Magenta(M):95% Yellow(Y):6% Black(K):1%
Web colour code - #363797

GREEN-

Hue(H)-150° Saturation(S):10% Brightness(B):67%
Luminance or lightness(L):61, chromatic components -a:-53 b:32
Red(R):0 Green(G):170 Blue(B):87
Cyan(C):81% Magenta(M):10% Yellow(Y):90% Black(K):1%
Web colour code - #00AA56;

(iv) the following complete specimen of a printed label for Window Air Conditioner, namely:—




(1.2) Material and shape

The label shall be of durable cardboard, if it is to be attached as a swing tag, or be self-adhesive and shall be cut to one of the outlines shown in dimension design scheme for the label.

2. Details of particulars to be displayed on labels of Split type Air Conditioners.


(Also applicable for Window type Air Conditioners after 01st January, 2014)

- (2.1) Label design, size, colour scheme and content of the label shall include -
 - (i) the following dimensional design of label, namely:-



0

the following colour scheme for the label (Split type Air conditioners), namely :-



Note: The colour tone at the background of Energy Efficiency Ratio Display (Green) will be similar as followed for the Bureau of Energy Efficiency Logo.

(iii) The following colour scheme for Bureau's logo, namely:-BLUE -Hue (H)-239° Saturation(S):64% Brightness (B):59%

Luminance or lightness (L):28, chromatic components -a:24 b:54 Red(R):54 Green (G):55 Blue (B):151

Cyan(C):97% Magenta (M):95% Yellow(Y):6% Black (K):1%

Web colour code - #363797

GREEN-


Hue (H)-150° Saturation(S):10% Brightness (B):67%

Luminance or lightness (L):61, chromatic components -a:-53 b:32

Red(R):0 Green (G):170 Blue (B):87

Cyan(C):81% Magenta (M):10% Yellow(Y):90% Black(K):1% Web colour code - #00AA56;

(iv) The following complete specimen of a printed label for split type air conditioner, namely:—



(2.2) Material and shape:

The label shall be of durable cardboard, if it is to be attached as a swing tag, or be self-adhesive and shall be cut to one of the outlines shown in dimension design scheme for the label".

JYOTI ARORA, Director General, Bureau of Energy Efficiency

[ADVT-III/4/Exty/187-G/13]

Foot Note.- The principal regulations, namely, the Bureau of Energy Efficiency (Particulars and Manner of their Display on Labels of Room Air Conditioners) Regulations, 2009 were notified in the official gazette in Part III, Section 4 vide number 2/11(5)/03BEE-2 dated the 6th July, 2009 and last amended vide number 2/11(5)/03BEE-2, dated the 5th January, 2010.